[2023] 8 एस. सी. आर. 452

मानसरोवर वाणिज्यिक पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी.

आय कर आयुक्त, दिल्ली

(2022 की सिविल अपील संख्या 5769)

अप्रैल 10,2023

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

भारत का संविधान संविधान (छत्तीसवाँ)

संशोधन) अधिनियम, 1975-अनुच्छेद। 371 - एफ-सिक्किम राज्य आय-कर नियमावली, 1948-सिक्किम (करों का संग्रह और करों के भुगतान की चोरी की रोकथाम) अधिनियम, 1987-आयकर अधिनियम, 1961। 2 (35) (ए), 2 (35) (बी), 6 (3), 148,271 (1) (ए), 271 (1) (सी), 273,274,271 बी-यू/आर्ट जारी की गई अधिसूचना द्वारा। 371 - के एफ (एन)

संविधान, आयकर अधिनियम, 1961 का विस्तार सिक्किम राज्य में किया गया था-निर्धारिती का मामला (के तहत शामिल)

कंपनी पंजीकरण (सिक्किम) अधिनियम, 1961) यह था कि उनमें से प्रत्येक सिक्किम का निवासी था, जो सिक्किम में व्यवसाय करता था और कहीं और नहीं और यह कि 31.03.1990 तक, उनमें से प्रत्येक को नियंत्रित किया जाता था। सिक्किम नियमावली, 1948 द्वारा और आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा नहीं-इसलिए, करदाताओं का रुख यह था कि उस तारीख तक उनके द्वारा अर्जित आय सिक्किम में किए गए/किए गए व्यवसाय से अर्जित आय थी-दूसरी ओर, राजस्व का मामला यह था कि प्रत्येक निर्धारिती कंपनियों का नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से उनके लेखा परीक्षक, आरजी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पास था, जिनके कार्यालय नई दिल्ली में थे और इसलिए, अधिनियम की धारा 6 (3) के संदर्भ में वे भारत में कंपनियों के निवासी थे-नई दिल्ली में चार्टर्ड एकाउंटेंट के परिसरों में 15.03.1990 पर तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान, लेखा पुस्तकें, चेक बुक, हस्ताक्षरित खाली चेक, वाउचर और अन्य आय

अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य की सराहना करने पर, ए. ओ., सी. आई. टी. (ए) और उच्च न्यायालय ने निर्धारिती के खिलाफ विशेष रूप से निर्णय दिया है कि वास्तव में लेखा परीक्षक (चार्टर्ड एकाउंटेंट, आर. जी.) ने न केवल पेशेवर सेवाएं प्रदान की हैं, बल्कि निर्धारिती कंपनियों के नियंत्रण और प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और वास्तव में वे नियंत्रण में थे।

और संबंधित निर्धारिती कंपनियों के मामलों का प्रबंधन

452 मानसरोवर वाणिज्यिक पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली

एक बार जब दस्तावेजों को जब्त कर लिया जाता है और विभिन्न व्यक्तियों से बयान दर्ज किए जाते हैं, तो तस्वीर का विरोध करने के लिए कुछ सबूत पेश करने के लिए भार निर्धारिती पर स्थानांतरित हो जाता है और अदालत ने पाया कि यह बेहद असामान्य है कि मुहर और हस्ताक्षरित खाली चेक चार्टर्ड एकाउंटेंट के पास पड़े होंगे-कंपनी के मामलों और नियंत्रण और प्रबंधन की प्रमुख और सीट और निर्देशन शक्ति केवल सैद्धांतिक नियंत्रण और शक्ति नहीं है, यानी, न्यायिक नियंत्रण और शक्ति नहीं है, बल्कि आचरण के दौरान वास्तव में प्रयोग किया जाने वाला नियंत्रण और शक्ति है और

फर्म के मामलों का प्रबंधन अधिवास या

कंपनी का पंजीकरण बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है और निर्धारित परीक्षण वह है जहां कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण का एकमात्र अधिकार निहित है और इसलिए ए. ओ. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, सी. आई. टी. (ए) द्वारा पुष्टि की गई, यह सही निष्कर्ष निकाला गया कि संबंधित निर्धारकों के मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन चार्टर्ड के पास था।

दिल्ली में लेखाकार-ऐसा प्रतीत होता है कि कर निर्धारकों ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर के भुगतान से बचने के लिए एक मामला सामने लाया कि उन्होंने सिक्किम के भीतर आय अर्जित की, जिसे स्थापित और साबित नहीं किया गया है-यह एक प्रयास था

आयकर अधिनियम, 1961 के चंगुल से बाहर निकलें-इसके अलावा, ब्याज यू/एस का उद्ग्रहण। 234आय की वापसी प्रस्तुत करने में चूक के लिए ए अनिवार्य और स्वचालित है। 234अधिनियम के ए में प्रावधान है कि जहां किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत की जाती है

नियत तिथि के बाद या प्रस्तुत नहीं किया गया है, निर्धारिती साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1. अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य की सराहना पर, ए. ओ., सी. आई. टी. (ए) और उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से निर्धारिती के खिलाफ निर्णय दिया है कि वास्तव में दिल्ली में आर. जी., चार्टर्ड एकाउंटेंट ने न केवल पेशेवर सेवाएं प्रदान की हैं, बल्कि निर्धारिती कंपनियों के नियंत्रण और प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और वास्तव में वे संबंधित निर्धारिती कंपनियों के मामलों के नियंत्रण और प्रबंधन में थे। [पैरा 7] [483-ए-बी]

2. जहाँ कंपनी के मामलों की प्रमुख और पद और निर्देशन शक्ति और नियंत्रण और प्रबंधन को दिखाया जाना चाहिए। केवल सैद्धांतिक नियंत्रण और शक्ति नहीं है, अर्थात, न्यायिक नियंत्रण और शक्ति नहीं है, बल्कि वास्तविक नियंत्रण और शक्ति वास्तव में [2023] 8 एस. सी. आर. में प्रयोग की गई है।

फर्म के कार्यों के संचालन और प्रबंधन की प्रक्रिया; कि कंपनी का अधिवास या पंजीकरण बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है और निर्धारित परीक्षण वह है जहां कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण का एकमात्र अधिकार निहित है। हाथ में मामले के तथ्यों के लिए कानून के उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, और ए. ओ. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, सी. आई. टी. (ए) द्वारा पुष्टि की गई, यह सही निष्कर्ष निकाला गया है कि संबंधित निर्धारकों के मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन आर. जी., चार्टर्ड एकाउंटेंट के पास था।

रिकॉर्ड में। उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, उच्च न्यायालय ने विपरीत निष्कर्षों को उलटने में कोई त्रुटि नहीं की है आई. टी. ए. टी. द्वारा अभिलिखित और यह उचित रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि आर. जी. को निर्धारिती कंपनियों के लिए और उनकी ओर से प्रधान अधिकारी और/या प्रधान अधिकारी के रूप में मानने पर नोटिस की सेवा वैध नोटिस थी और उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि नई दिल्ली में ए. ओ. को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार क्षेत्र था। [पैरा 8,9] [491-जी-एच; 492-ए-सी]

3. जहाँ तक संबंधित निर्धारिती की ओर से मामला है

यह कि पूरी आय सिक्किम में इलायची की बिक्री पर कमीशन के माध्यम से अर्जित की गई थी और इसलिए ऐसी आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर नहीं लगाया जाएगा, शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ए. ओ. और सी. आई. टी. (ए) द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्ष हैं, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, कि कमीशन के माध्यम से कोई भी आय, जैसा कि निर्धारकों द्वारा दावा किया गया है, निर्धारिती द्वारा स्थापित और साबित नहीं की गई है। वास्तव में, एओ ने विभिन्न व्यक्तियों को नोटिस/समन जारी किए जिन्होंने कथित रूप से कमीशन के रूप में राशि का भुगतान किया था, हालांकि, उन व्यक्तियों ने कोई जवाब नहीं दिया था। इसलिए, ए. ओ. ने ठीक ही एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस तरह से निर्धारिती ने प्राप्त आयोग की वास्तविकता को साबित करने के लिए कोई सार्थक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इसके बावजूद

उपरोक्त में, आई. टी. ए. टी. ने ए. ओ. और सी. आई. टी. (ए) द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों को यह कहते हुए उलट दिया कि ए. ओ. आगे नहीं बढ़ा (समन/नोटिस जारी करने के बाद) और चूंकि कोई प्रतिकूल सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है, इसलिए ए. ओ. प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि बोझ मानसरोवर वाणिज्यिक पी. वी. टी. था।

लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली

राजस्व पर भारी। एक बार, एओ ने उन लोगों को समन जारी किया जिन्होंने कथित रूप से निर्धारिती को कमीशन का भुगतान किया था और धारा 131 के तहत समन जारी किए गए थे जिनका पालन नहीं किया गया था और संबंधित निर्धारिती की ओर से यह दावा किया गया था कि उन्होंने सिक्किम के भीतर कमीशन की आय अर्जित की थी, इसे साबित करने का बोझ निर्धारिती पर था। इन परिस्थितियों में, आई. टी. ए. टी. ने गलत तरीके से और गलत तरीके से ए. ओ. पर इसके विपरीत साबित करने का भार डाला। इसलिए, अभिलेख पर किसी भी सामग्री के अभाव में कि कमीशन केवल गंगटोक में अर्जित किया गया था, निर्धारिती को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वे सिक्किम नियमावली, 1948 के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, न कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत। ऐसा प्रतीत होता है कि करदाताओं ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर के भुगतान से बचने के लिए एक मामला सामने लाया कि उन्होंने सिक्किम के भीतर आय अर्जित की, जिसे स्थापित और साबित नहीं किया गया है। यह आयकर अधिनियम, 1961 के चंगुल से बाहर निकलने के लिए संबंधित करदाताओं की ओर से एक स्पष्ट प्रयास था। [पैरा 10] [492-डी-एच; 493-ए-बी]

4. अंजुम एम. एच. घासवाला के मामले में, धारा 234ए, 234बी के प्रावधानों के तहत ब्याज पर विचार करते हुए और

234आयकर अधिनियम, 1961 की धारा सी में कहा गया है कि उक्त प्रावधानों के तहत विचारित ब्याज प्रकृति में अनिवार्य है और आयोग को छूट या कटौती की शक्ति स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई है। यह इंगित करता है कि जहां तक वैधानिक ब्याज के भुगतान का संबंध है, यह अधिनियम के अध्याय XIX-A में विचार किए गए समझौते के दायरे से बाहर है। वर्तमान मामले में भी, आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए धारा 234ए के तहत ब्याज की वसूली अनिवार्य और स्वचालित है। अधिनियम की धारा 234ए में प्रावधान है कि जहां किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए आय की वापसी है

नियत तिथि के बाद प्रस्तुत किया गया या प्रस्तुत नहीं किया गया, निर्धारिती साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार, धारा 234ए के तहत ब्याज वैधानिक ब्याज है जो देय और देय है और इसलिए

अंजुम एम. एच. घासवाला के मामले में इस न्यायालय का निर्णय पूरे बल के साथ लागू किया जाए। इसलिए, जब ब्याज लगाया जाता है

आई. टी. एन. एस. 150 में उल्लिखित कार्यप्रणाली के अनुसार, जो मूल्यांकन आदेश का हिस्सा है, इसे उचित रूप से पर्याप्त और ब्याज लेने के लिए पर्याप्त माना जाता है। [पैरा 12.1] [494-सी-एफ] [2023] 8 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आयकर आयुक्त, मुंबई बनाम। अंजुम एम. एच. घासवाला (2002) 1 एस. सी. सी. 633: [2001] 4 पूरक। एससीआर

303 - पीछा किया।

आयकर आयुक्त, दिल्ली बनाम। भगत कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (2016) 15 एससीसी 738; V.V.R.N.M. सुब्बय्या चेट्टियार बनाम. सी. आई. टी., मद्रास, ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 101: [1950] एस. सी. आर. 1961-पर निर्भर था।

पासवान, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 340: [1955] एस. सी. आर. 117; एच. ई. एच. के न्यासी, निज़ाम का पूरक परिवार न्यास बनाम। सी. आई. टी. (2000) 3 एस. सी. सी. 501 [2000] 1 एस. सी. आर. 863; स्टैंडर्ड चार्टर्ड फाइनेंस लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी. बैंगलोर (2016) 14 एस. सी. सी. 634; एरिन एस्टेट बनाम। सी. आई. टी. 1959 एस. सी. आर. 573; आयकर आयुक्त बनाम। सन इंजीनियरिंग वर्क्स पी. लिमिटेड (1992) 4 एससीसी 363: [1992] 1 पूरक। एस. सी. आर. 732; करणवीर सिंह गोसल बनाम। आयकर आयुक्त

(2012) 13 एस. सी. सी. 802; भारतीय स्टेट बैंक बनाम। एस. एन. गोयल (2008) 8 एससीसी 92: [2008] 7 एस. सी. आर. 631; शिव राज गुप्ता बनाम सी. आई. टी. दिल्ली ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 3556: [2020] एस. सी. आर. 874-संदर्भित।

1985 156 आई. टी. आर. 730; आयकर आयुक्त बनाम नंदलाल गंडलाल 1960 40 आईटीआर 1 (एससी); बी. आर. नाइक बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे (1945) 13 आई. टी. आर. 124; सी. आई. टी. बनाम। रांची क्लब लिमिटेड (2001) 247 आई. टी. आर. 209-संदर्भित। ए. एम. एम. फर्म बनाम भारतीय रिजर्व बैंक 1982 एस. सी. सी. ऑनलाइन पागलपन। 187 ; आय कर आयुक्त v. बैंक ऑफ चाइना 1985 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल। 24 ; यूनिवर्सल कार्गो कैरियर्स इंक. v. आयकर आयुक्त 1990 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल। 385 ; इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त 2004 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल। 736 – संदर्भित किया गया।

सैन पाउलो बनाम। कार्टर (1896) एसी 31 लॉर्ड हैल्सबरी

—

संदर्भित किया गया।

मानसरोवर वाणिज्यिक पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली

मामला कानून संदर्भ

[2018] 3 एससीआर 875

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.6

पैरा 3.10

[1955] एससीआर 117

संदर्भित किया गया है

[2000] 1 एससीआर 863

पैरा 3.12

संदर्भित किया गया है

(2016) 14 एस. सी. सी. 634

संदर्भित किया गया है

पैरा 3.12

[2001] 4 पूरक। एससीआर 303

पीछा किया।

पैरा 3,18

(2016) 15 एस. सी. सी. 738

उस पर भरोसा करें

पैरा 3,18

[1950] एस. सी. आर. 1961

उस पर भरोसा करें

पैरा 4.2

[1992] 1 पूरक। एससीआर 732

पैरा 4.7

संदर्भित किया गया है

(2012) 13 एस. सी. सी. 802

पैरा 4.9

संदर्भित किया गया है

[2008] 7 एससीआर 631

पैरा 4.11

संदर्भित किया गया है

[2020] एससीआर 874

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.13

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5769

2022 .

उच्च न्यायालय के 22.02.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2022 के आई. टी. ए. सं. 162 में नई दिल्ली में।

के साथ

दीवानी अपील सं। 5773 , 5772 , 5771 और 2022 का 5770।

अरविंद पी. दातार, जी. उमापति, वरिष्ठ अधिवक्ता। , वेंकट सुब्रमण्यन,

रोहित के. सिंह, सुविन कुमारन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एन. वेंकटरमण, ए. एस. जी., एच. आर. राव, देवाशीष भरुखा, सुघोश

सुब्रमण्यम, रजत नायर, भुवन कपूर, प्रणय रंजन, विक्रांत यादव, एस. ए. हसीब, सुश्री गार्गी खन्ना, राम नारायण, सुश्री अमृता

चंद्रमौली, वी. चंद्रशेखर भारती, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित आम लोगों से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

आयकर अपील संख्या में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 22.02.2016 का निर्णय और आदेश। 162/2002 , 164/2002 ,

165/2002 , 167/2002 & 168/2002 , जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने [2023] 8 एस. सी. आर. की अनुमति दी है।

राजस्व द्वारा की गई उक्त अपीलों को खारिज कर दिया गया है और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा (संक्षेप में, 'आई. टी. ए. टी.') मूल्यांकन वर्षों 1987-88,1988-89 और 1989-90 के लिए पारित 08 जनवरी, 2002 के सामान्य आदेश को रद्द कर दिया है और निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को बहाल कर दिया है, जिन्हें आयकर आयुक्त ने बरकरार रखा है।

(अपील) (संक्षेप में, 'सी. आई. टी. (ए)), संबंधित निर्धारिती ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

तथ्यः 2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः

संबंधित निर्धारिती, अर्थात्, मानसरोवर कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, सॉवरेन कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, स्वास्तिक कमर्शियल लिमिटेड

प्राइवेट लिमिटेड, त्रिशूल कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड और पशुपति नाथ कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी पंजीकरण (सिक्किम) अधिनियम, 1961 के तहत शामिल किया गया था। प्रत्येक निर्धारिती कंपनी इलायची और अन्य कृषि उत्पादों में वाणिज्यिक एजेंटों का व्यवसाय करने का दावा करती है।

भारत का संविधान, जिसके संदर्भ में भारत के सभी कानून नहीं थे सिक्किम के नए राज्य तक विस्तारित। अनुच्छेद 371-एफ (के) के तहत सिक्किम राज्य या उसके किसी भी हिस्से वाले क्षेत्रों में नियत दिन, यानी 26 अप्रैल, 1975 से तुरंत पहले लागू सभी कानूनों को

(इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) को सीधे लागू नहीं किया गया था सिक्किम राज्य में। जब तक अनुच्छेद 371-एफ (एन) के तहत जारी अधिसूचना द्वारा सिक्किम में अधिनियम का विस्तार नहीं किया जाता, तब तक आयकर लगाया जाना था।

और सिक्किम राज्य आय-कर नियमावली, 1948 (संक्षेप में, 'सिक्किम नियमावली, 1948') के तहत एकत्र किया गया। कर की वसूली सिक्किम (कर संग्रह और कर भुगतान की चोरी की रोकथाम) अधिनियम, 1987 की योजना के तहत की गई थी।

2.2 एक अधिसूचना द्वारा सं. एस. ओ. 1028ई दिनांक 7 नवंबर, 1988 को संविधान के अनुच्छेद 371-एफ (एन) के तहत जारी किया गया, अधिनियम, धन कर अधिनियम, 1957 और उपहार कर अधिनियम, 1958 का विस्तार सिक्किम राज्य में किया गया। उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के संदर्भ में, केंद्र सरकार ने 23 फरवरी, 1989 की अधिसूचना एस. ओ. 148ई द्वारा 1 अप्रैल, 1989 को उस

तारीख के रूप में नियुक्त किया, जिस दिन यह अधिनियम मानसरोवर वाणिज्यिक पी. वी. टी. में लागू होगा।

लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.]

1 अप्रैल, 1989 को शुरू होने वाले मूल्यांकन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के संबंध में सिक्किम राज्य। हालाँकि, बाद में, वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 26 के आधार पर यह अधिनियम 1 अप्रैल, 1990 से शुरू होने वाले मूल्यांकन वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष से सिक्किम राज्य में लागू किया गया था, जिससे अधिनियम के लागू होने की तारीख 23 फरवरी, 1989 की अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी।

2.3 आकलनकर्ताओं का मामला यह था कि उनमें से प्रत्येक सिक्किम का निवासी था, जो सिक्किम में व्यवसाय करता था न कि कहीं और और।

31मार्च, 1990 से, उनमें से प्रत्येक सिक्किम नियमावली, 1948 द्वारा शासित था, न कि अधिनियम द्वारा। इसलिए, निर्धारिती का रुख यह था कि उस तारीख तक उनके द्वारा अर्जित आय सिक्किम में किए गए/किए गए व्यवसाय से अर्जित आय थी। दूसरी ओर, राजस्व का मामला यह था कि प्रत्येक निर्धारिती कंपनी का नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से उनके लेखा परीक्षक, मेसर्स रतन गुप्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पास था, जिनके कार्यालय करोल बाग, नई दिल्ली में थे और इसलिए, अधिनियम की धारा 6 (3) के संदर्भ में वे भारत में कंपनियों के निवासी थे।

2.4 15 मार्च, 1990 को दरियागंज, नई दिल्ली में चार्टर्ड एकाउंटेंट मैसर्स रतन गुप्ता एंड कंपनी के परिसर में तलाशी ली गई थी।

दिल्ली और तलाशी के दौरान, लेखा पुस्तकें, चेक पुस्तकें, हस्ताक्षरित खाली चेक, वाउचर और करदाताओं के अन्य आय दस्तावेज पाए गए। मैसर्स रतन गुप्ता एंड कंपनी, सीए के पूर्व और वर्तमान भागीदारों के बयान दर्ज किए गए।

2.5 10 जुलाई, 1990 को मैसर्स रतन गुप्ता एंड कंपनी, सीए के परिसर में 15 मार्च, 1990 को की गई तलाशी के बाद दरियागंज, नई दिल्ली, सहायक आयुक्त द्वारा नोटिस जारी किए गए थे

आयकर (संक्षेप में, 'एसीआईटी') (जांच), सर्कल 7 (1), नई दिल्ली, अधिनियम की धारा 148 के तहत प्रत्येक निर्धारिती को,

मूल्यांकन वर्ष 1987-88,1988-89 और 1989-90 (मूल्यांकन वर्ष विचाराधीन)। अधिनियम की धारा 132 (5) के तहत मेसर्स रतन गुप्ता एंड कंपनी के संबंध में एसीआईटी (जांच), सर्कल 13 (1), नई दिल्ली द्वारा 12 जुलाई, 1990 को एक आदेश पारित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त रतन गुप्ता ने निर्धारिती को अधिनियम की धारा 148 के तहत दरियागंज, नई दिल्ली में मेसर्स रतन गुप्ता एंड कंपनी के पते पर जारी किए गए नोटिसों के बारे में सूचित किया और मेसर्स रतन गुप्ता एंड कंपनी के उक्त परिसर में चिपकाया।

2.6 इस बीच, प्रत्येक निर्धारिती ने 27 अप्रैल, 1990 को विचाराधीन मूल्यांकन वर्षों के लिए सिक्किम नियमावली, 1948 के संदर्भ में आय विवरणी दाखिल की। 23 जुलाई, 1990 को उनमें से प्रत्येक को इसके संबंध में एक मांग नोटिस जारी किया गया था।

2.7 संबंधित कर निर्धारकों ने अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी किए गए नोटिसों को चुनौती देते हुए सिक्किम उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं।

सिक्किम उच्च न्यायालय ने शुरू में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया। उक्त अंतरिम आदेश को संशोधित किया गया था जिसके संदर्भ में विभाग को अपनी जांच जारी रखने और निर्धारिती कंपनियों के निदेशकों से तथ्य और जानकारी लेने की अनुमति दी गई थी। द. निर्धारिती कंपनियों को अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिसों के अनुपालन में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने और विवरणी दाखिल करने और निर्धारण अधिकारी, नई दिल्ली के समक्ष लेखा पुस्तकें प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता थी। इसके बाद, सिक्किम उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उक्त रिट याचिकाओं पर विचार करने का उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि सिक्किम राज्य में कार्रवाई का कोई कारण सामने नहीं आया था। यह देखा गया कि चूंकि नोटिस एसीआईटी (जांच), सर्कल 7 (1), नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए थे और नई दिल्ली में निर्धारिती को दिए गए थे, इसलिए उस प्राधिकरण के कार्यों पर इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि सिक्किम उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि "केवल तथ्य यह है कि कंपनियों के पास है

सिक्किम में पंजीकृत कार्यालय इस न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करते हैं।

2.8 ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच, रिटर्न के आधार पर

सिक्किम में करदाताओं द्वारा दायर की गई, सिक्किम सरकार के आय और बिक्री कर विभाग ने 30 नवंबर, 1990 को एक संशोधित मांग उठाई, जिसमें 30 जुलाई, 1990 को उठाई गई पिछली मांग को रद्द कर दिया गया।

2.9 20 जुलाई, 1993 को सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज करने के बाद, निर्धारिती ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं। 5565 1993 का 5569 तक। शुरुआत में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कार्यवाही पर रोक लगाने का एक अंतरिम आदेश पारित किया। लेकिन इसके बाद 13 अगस्त, 1998 को एक आदेश पारित किया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एओ को रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन मूल्यांकन तैयार करने का निर्देश दिया।

2.10 इसके बाद 24 अगस्त, 1998 को एसीआईटी, कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 148 के तहत निर्धारिती कंपनियों को नोटिस जारी किए गए।

सर्कल 2, नई दिल्ली। 2.11 कि 9 अक्टूबर, 1998 को एसीआईटी, कंपनी सर्कल 2 (2), नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक मानसरोवर वाणिज्यिक पी. वी. टी. के लिए अलग-अलग मूल्यांकन आदेश पारित किए गए थे।

लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.]

विचाराधीन मूल्यांकन वर्ष। आकलन अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक निर्धारिती "जानबूझकर सिक्किम के माध्यम से धन भेजकर और भारत में वापस जुताई करके सिक्किम में प्रचलित कानूनों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था।" निर्धारण अधिकारी ने क्षेत्राधिकार के बारे में निर्धारिती द्वारा उठाई गई आपत्तियों को भी खारिज कर दिया। निर्धारण अधिकारी ने आय के विभिन्न शीर्षों के तहत उपरोक्त तीन निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारिती की आय में वृद्धि की, अर्थात् (i) कमीशन से आय (ii) डेंगजोंग चैरिटेबल ट्रस्ट से असुरक्षित ऋण (iii) असुरक्षित ऋणों पर अर्जित/भुगतान किया गया ब्याज और (iv) आयकर (जिसकी अनुमति नहीं थी) के लिए प्रावधान। अलग से दंड की कार्यवाही की गई धारा 271 (1) (ए) के तहत शुरू किया गया। 271 (1) (ग), 273/274 और 271-बी।

2.12 निर्धारिती तब सी. आई. टी. (ए) के समक्ष अपील करना पसंद करते थे। इसके बाद 08 दिसंबर, 2000 को रिट याचिकाएं दायर की गईं।

उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारिती को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि संबंधित निर्धारिती ने क़ानून के तहत निर्धारित अपीलीय प्राधिकरण का रुख किया। सी. आई. टी. (ए) के समक्ष निर्धारिती द्वारा दायर अपीलों को 30 मार्च, 2001 के आदेश (ओं) के माध्यम से खारिज कर दिया गया। 2.13 अपीलों को खारिज करते हुए सी. आई. टी. (ए) द्वारा पारित आदेशों से व्यथित महसूस करते हुए, संबंधित निर्धारिती पहले अपील करना पसंद करते हैं।

आईटीएटी। आई. टी. ए. टी. ने पाया और अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 148 के तहत श्री रतन गुप्ता को नोटिस नहीं दिए जा सकते थे क्योंकि उक्त श्री रतन गुप्ता को अधिनियम की धारा 2 (35) (ए) के अर्थ के भीतर निर्धारिती का "प्रधान अधिकारी" नहीं कहा जा सकता है और ए. ओ. ने अधिनियम की धारा 2 (35) (बी) के उद्देश्यों के लिए श्री रतन गुप्ता को "प्रधान अधिकारी" के रूप में मानने के अपने इरादे का कोई नोटिस नहीं दिया। श्री रतन गुप्ता द्वारा नोटिस प्राप्त करने से इनकार करने पर, आई. टी. ए. टी. ने कहा और

राय है कि यदि श्री रतन गुप्ता ने इस तरह के नोटिस प्राप्त करने से इनकार कर दिया, तो वह ऐसा करने में उचित थे और उनके इनकार ने एओ को सीपीसी के आदेश V के नियम 20 के अर्थ के भीतर प्रतिस्थापित सेवा का सहारा लेने के लिए अधिकृत नहीं किया। आई. टी. ए. टी. द्वारा निर्धारिती द्वारा की गई अपीलों की अनुमति देने वाला आदेश राजस्व के कहने पर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील का विषय था।

2.14 उच्च न्यायालय ने कानून के निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए:

" 1. क्या न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि एसीआईटी

अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने में उनके अधिकार क्षेत्र को पार कर गया और नोटिस कानून के अनुसार नहीं दिए गए?

2. क्या आई. टी. ए. टी. द्वारा दिया गया आदेश इसके आधार पर विकृत है

अनुमान और अनुमान और साक्ष्य और सामग्री की अज्ञानता और क्या आपने गलत तथ्यों पर भरोसा किया है?

3. क्या निर्धारिती की आय भारत में कर योग्य है?

निर्धारकों के कहने पर, एक अतिरिक्त प्रश्न था

उसी आदेश के तहत भी तैयार किया गया हैः

4. क्या आई. टी. ए. टी. कानूनी रूप से यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 (3) (ii) के अर्थ के भीतर भारत का निवासी नहीं है और क्या

स्वीकार्य साक्ष्य और सामग्री और गलत तथ्यों पर निर्भर करती है और कई महत्वपूर्ण सामग्रियों और निवास के निर्धारण के लिए प्रासंगिक साक्ष्य पर उचित विचार नहीं किया है। मूल्यांकनकर्ता "।

2.15 विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने राजस्व के पक्ष में और न्यायाधीशों के खिलाफ सभी प्रश्नों का जवाब दिया और इसके परिणामस्वरूप राजस्व विभाग द्वारा की गई अपीलों को स्वीकार कर लिया।नया। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश में निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर विचार और विचार किया है और दोनों पक्ष थे -

मैं उक्त मुद्दों पर।

1. एसीआईटी, सर्कल 7 (1), नई दिल्ली द्वारा अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति, जिसने अधिनियम की धारा 148 के तहत निर्धारिती को नोटिस जारी किए; 2. नई दिल्ली में नियंत्रण और प्रबंधन;

3. सिक्किम में कोई आय अर्जित या अर्जित नहीं की गई थी;

4. सूचना की सेवा;

5. अधिनियम की धारा 147 के तहत नोटिस जारी करने की सीमा; 6. मूल्यांकन को फिर से खोलने के लाभ; और

7. ब्याज

विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने

पैराग्राफ 91 में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला गया हैः

(i) कंपनी कानून के तहत निगमित निर्धारिती

सिक्किम, निवासी भारतीय कंपनियाँ हैं। यदि उन्हें 1 अप्रैल 1990 से पहले भारत में कोई आय अर्जित हुई थी या उनके द्वारा अर्जित की गई थी, तो ऐसी आय अधिनियम के तहत कर योग्य है।

ओवर वाणिज्यिक पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.]

श्री रतन गुप्ता न केवल पाँच निर्धारिती कंपनियों का लेखापरीक्षा कार्य कर रहे थे, बल्कि यह निर्धारित कर रहे थे कि उक्त कंपनियों के निदेशक कौन होने चाहिए। यह इस तथ्य के साथ जोड़ा गया कि सभी पांचों कंपनियों की खाली हस्ताक्षरित चेक बुक के साथ-साथ रबर सील, लेटर हेड, खाली हस्ताक्षरित चेक और अन्य रिकॉर्ड भी रतन गुप्ता एंड कंपनी के कार्यालय में पाए गए थे, एओ द्वारा तथ्यात्मक निर्धारण कि पांचों कंपनियों का प्रबंधन और नियंत्रण वास्तव में पूरी तरह से दिल्ली में स्थित था दृढ़ किया गया। राजस्व द्वारा एकत्र किए गए विस्तृत साक्ष्य,

अवसर दिए जाने के बावजूद निर्धारिती द्वारा प्रतिवाद किए बिना, मामले की पुष्टि करने का कार्य करता है राजस्व कि पाँच निर्धारिती कंपनियों का प्रबंधन और नियंत्रण वास्तव में दिल्ली में स्थित था।

ए. ओ. के निष्कर्ष कि निर्धारिती यह साबित करने में विफल रहे कि कमीशन भुगतान उनके द्वारा विशेष रूप से सिक्किम में अर्जित किया गया था, किसी भी ठोस सामग्री का उत्पादन करके निर्धारिती द्वारा हटा नहीं दिया गया है।

अदालत आई. टी. ए. टी. के इस निष्कर्ष को कायम रखने में असमर्थ है कि रतन गुप्ता एंड कंपनी के माध्यम से मूल्यांकनकर्ताओं को ठीक से नोटिस नहीं दिया गया था। विभाग को प्रतिस्थापित सेवा के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और रतन गुप्ता एंड कंपनी द्वारा नोटिस प्राप्त करने से इनकार करना इसे नोटिस की मानित सेवा के रूप में मानने के लिए पर्याप्त था। मूल्यांकनकर्ताओं की यह याचिका कि अधिनियम की धारा 148 के तहत कार्यवाही एक विशिष्ट आदेश के अभाव में दूषित हो जाती है, अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए अधिनियम की धारा 127 के तहत एसीआईटी को शक्तियां प्रदान करती है, खारिज कर दी जाती है।

(vii) निर्धारणकर्ताओं का अनुरोध है कि धारा के तहत नोटिस

142 (1) और अधिनियम के 143 (2) पहली बार जारी किए गए थे।

1998 में और समय पर प्रतिबंध लगा दिया गया था अस्वीकार कर दिया जाता है।

(viii) गुण-दोष के आधार पर इसका प्रयोग करने के लिए पर्याप्त आधार थे।

अधिनियम की धारा 148 के तहत शक्ति।

(ix)

आई. टी. ए. टी. का निष्कर्ष है कि धारा 234 के तहत ब्याज अधिनियम के ए और 234 बी पर आरोप नहीं लगाया जा सका क्योंकि उस ओर से एओ द्वारा एक विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया था जो कानून में अस्थिर है और खारिज कर दिया गया है।

उपरोक्त निष्कर्ष निकालते हुए, उच्च न्यायालय ने तदनुसार जवाब दिया है

राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के विरुद्ध बनाए गए प्रश्न। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश वर्तमान अपीलों का विषय है।

प्रस्तुतियाँः 3. श्री अरविंद पी. दातार और श्री जी. उमापति, विद्वान वरिष्ठ

संबंधित निर्धारिती कंपनियों की ओर से वकील पेश हुए हैं।

और श्री एन. वेंकटरमन, भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, राजस्व की ओर से पेश हुए हैं। 3.1 निर्धारिती कंपनियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अरविंद पी. दातार ने कहा है कि इस मामले में

वर्तमान अपीलें इस बारे में हैं कि क्या आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान

यह उन निर्धारिती कंपनियों पर लागू होगा जो सिक्किम कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं और तीन मूल्यांकन वर्षों के संबंध में सिक्किम कर नियमावली, 1948 के लिए उत्तरदायी हैं, यानी 1987-88,1988-89 और 1989-90 जब आयकर अधिनियम, 1961 का सिक्किम राज्य में विस्तार नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आगे का मुद्दा यह है कि क्या दिल्ली में अधिकारियों को अधिकार क्षेत्र केवल आयकर अधिनियम, 1961 के लागू होने के उद्देश्य से निर्धारिती कंपनियों के नियंत्रण और प्रबंधन के कथित प्रभावी स्थान के आधार पर प्रदान किया जा सकता है।

3.2 द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को चुनौती देना

उच्च न्यायालय, श्री अरविंद पी दातार, निर्धारिती कंपनियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि विवादित निर्णय एक गलत धारणा पर आधारित है कि कंपनियों का प्रभावी नियंत्रण दिल्ली के निवासी श्री रतन गुप्ता के पास निहित है, जो लेखांकन और लेखा परीक्षा सेवाएं प्रदान कर रहे थे।

मानसरोवर वाणिज्यिक पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.]

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित निर्णय गलत है

निर्धारिती कंपनियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दातार ने जोर देकर कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 का विस्तार 1 अप्रैल, 1990 को और उसके बाद ही सिक्किम राज्य में किया गया था। इसलिए एओ ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया। 3.5 यह तर्क दिया जाता है कि निर्धारिती कंपनियों का सिक्किम नियमावली, 1948 के तहत कर निर्धारण किया गया है और उक्त कानून के तहत आयकर का भुगतान और निर्वहन करने के बाद आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एक स्पष्ट प्रावधान के अभाव में "हेड एंड ब्रेन" नियम लागू करके एक बार फिर कर के अधीन नहीं किया जा सकता है।

एक सुव्यवस्थित कानून कि "एक कर कानून की व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए कि इसका प्रभाव करदाताओं पर कर के भुगतान के लिए दो बार बोझ डालना होगा, जब तक कि कानून की भाषा इतनी बाध्यकारी न हो कि अदालत के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प न हो।" कि उचित संदेह के मामले में, करदाता के लिए सबसे अधिक फायदेमंद निर्माण को अपनाया जाना चाहिए।

3.6 यह आगे तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से है

महावीर कुमार जैन बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत आता है। सी. आई. टी., जयपुर ने (2018) 6 एस. सी. सी. 527 में प्रतिवेदन दिया, जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या अपीलार्थी, जो राजस्थान का निवासी था और जिसने निर्धारण वर्ष के दौरान सिक्किम से लॉटरी जीती थी, उस पर भारत में कर लगाया जा सकता है जहां आयकर अधिनियम, 1961 लागू था, इसके बावजूद कि उक्त आय उस स्थान पर उपार्जित या उत्पन्न हुई थी जहां आयकर अधिनियम, 1961 लागू नहीं था, यानी सिक्किम, विशेष रूप से जब सिक्किम राज्य में सिक्किम नियमावली, 1948 के तहत उक्त आय पर पहले ही कर लगाया जा चुका था। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 13 से 15 में की गई कुछ टिप्पणियों पर भरोसा रखा गया है।

3.7 इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्धारिती कंपनियों ने सिक्किम नियमावली, 1948 के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष आयकर विवरणी दाखिल की।

और उक्त प्राधिकारी द्वारा एक मांग उठाई गई, जिसका भुगतान कर दिया गया। कि तथ्य यह है कि सिक्किम नियमावली, [2023] 8 एस. सी. आर. के तहत उपयुक्त आयकर प्राधिकरण।

1948 निर्धारिती कंपनियों द्वारा दाखिल आयकर विवरणी को स्वीकार कर लिया जाता है और इस तरह के विवरणी के आधार पर उठाई गई मांग निर्धारिती कंपनियों की ईमानदारी को दोषारोपण से परे स्थापित करती है। इसलिए, यह आरोप कि निर्धारिती कंपनियों का सिक्किम में कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं है, पूरी तरह से निराधार, निराधार और असमर्थनीय है। 3.8 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह आग्रह किया जाता है कि जहां तक निर्धारिती कंपनियों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 को प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों के लिए लागू नहीं किया जाएगा।

3.9 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एसीआईटी, दिल्ली के पास निर्धारिती कंपनियों का आकलन करने के लिए कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था और इसलिए अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने में उनके अधिकार क्षेत्र में यह धारणा स्पष्ट रूप से पार हो गई थी कि निर्धारिती कंपनियां निर्धारिती कंपनियों के चार्टर्ड एकाउंटेंट के परिसर में निर्धारिती कंपनियों के खातों की पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर भारत में व्यवसाय कर रही थीं, यानी मैसर्स रतन गुप्ता एंड कंपनी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह का दृष्टिकोण विकृत होने के अलावा कानून में पूरी तरह से असमर्थनीय है।

3.10 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अजय कुमार बनाम के मामलों में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है। उत्तराखंड राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन

एससी 48 और किरण सिंह बनाम। चमन पासवान, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 340, अधिकार क्षेत्र के बिना प्राधिकरण द्वारा पारित एक आदेश अमान्य है। 3.11 यह तर्क दिया जाता है कि सी. आई. टी., दिल्ली द्वारा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग भी अधिनियम की धारा 6 (3) को देखते हुए कानून में पूरी तरह से असमर्थनीय है क्योंकि यह प्रासंगिक समय पर था। कि श्री रतन गुप्ता एक चार्टर्ड एकाउंटेंट थे और कई निगमों और व्यक्तियों को लेखा और लेखा परीक्षा सेवाएं प्रदान करते थे और कभी भी निर्धारिती कंपनियों के पीछे "प्रमुख और मस्तिष्क" नहीं हो सकते थे।

3.12 यह आगे तर्क दिया जाता है कि अन्यथा भी पारित किसी भी मूल आदेश के अभाव में कानून में पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं थी। अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत। निज़ाम के पूरक एच. ई. एच. के न्यासियों के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा रखा गया है।

फैमिली ट्रस्ट v. सी. आई. टी., (2000) 3 एस. सी. सी. 501 (पैराग्राफ 10 और 11) में रिपोर्ट किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय का बाद में पालन किया गया और इस न्यायालय द्वारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड फाइनेंस लिमिटेड बनाम के मामले में पुष्टि की गई। सी. आई. टी., बैंगलोर, (2016) 14 एस. सी. सी. 634 (2016 की सिविल अपील संख्या 1101 दिनांक 9.2.2016)।

3.13 निर्धारिती कंपनियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दातार ने आगे यह प्रस्तुत किया कि इस प्रकार मानसरोवर वाणिज्यिक पी. वी. टी. था।

लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.]

इस गलत धारणा पर आगे बढ़े कि निर्धारिती कंपनियों को रतन गुप्ता द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो लेखांकन और लेखा परीक्षा सेवाएं प्रदान कर रहे थे, केवल इसलिए कि उनके कार्यालय में लेखा पुस्तकें पाई गई थीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रभाव के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया था कि उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को निर्धारिती कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किया या उस तरीके को निर्धारित किया जिसमें ऐसे निदेशक निर्धारिती कंपनियों के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यह कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि प्रबंधन पर नियंत्रण रतन गुप्ता के पास निहित था और इसलिए निर्धारिती कंपनियाँ भारत में स्थित थीं, इसलिए पूरी तरह से असमर्थनीय है और परिणामस्वरूप इस तरह की धारणा बनाना कानूनी रूप से अस्थिर है।

3.14 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के समय कोई ठोस सामग्री नहीं थी।

यह विश्वास कि आय आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रभार्य थी और यह साबित करने का बोझ कि निर्धारिती कंपनियों का नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से भारत में स्थित था, विभाग के पास है। कि कानून अच्छी तरह से तय है कि जिम्मेदारी राजस्व पर थी, जिसका निर्वहन नहीं किया गया है। कि इसके विपरीत उच्च न्यायालय ने निर्धारिती कंपनियों पर यह साबित करने की जिम्मेदारी स्थानांतरित करने में गलती की है कि उनके पास सिक्किम राज्य से उत्पन्न वैध व्यावसायिक हित और आय थी।

3.15 यह तर्क दिया जाता है कि विवादित आदेश पूरी तरह से एक गलत धारणा पर आधारित है कि श्री रतन गुप्ता के नियंत्रण में था

निर्धारिती कंपनियों का प्रबंधन। कि जब तक आकलन वर्ष 1988-89, निर्धारिती कंपनियों के लेखा परीक्षा और खातों को रविंदर सिंह एंड कंपनी द्वारा संभाला जा रहा था।

उच्च न्यायालय ने उक्त रविंदर सिंह को मेसर्स रतन गुप्ता एंड कंपनी का भागीदार मानने में गलती की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, विवादित आदेश एक महत्वपूर्ण तथ्य की त्रुटिपूर्ण धारणा पर आधारित है और इसलिए विवादित निर्णय इस न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के योग्य है।

3.16 . श्री दातार ने आगे कहा कि लेवी पर अधिनियम की धारा 260ए के तहत कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार नहीं किया गया है

धारा 100 सी. पी. सी. के अनुरूप जो के प्रश्न को तैयार करना अनिवार्य करता है उक्त मुद्दे पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने से पहले कानून। यह प्रस्तुत किया जाता है कि [2023] 8 एस. सी. आर.

इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा ब्याज लगाने का कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था। इसलिए उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को दर्ज करने में एक क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की है कि आई. टी. ए. टी. का यह निष्कर्ष कि अधिनियम की धारा 234 ए और बी के तहत ब्याज नहीं लिया जा सकता है क्योंकि निर्धारण अधिकारी द्वारा उस ओर से एक विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया था, कानून में अस्थिर है।

3.17 इसके अलावा, दिल्ली में अधिकारियों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के पहलू पर यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्धारिती कंपनियों के पास उनके अधिकार थे।

सिक्किम में पंजीकृत कार्यालय। इसलिए, अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करना अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर, आई. टी. ए. टी. ने पाया कि चूंकि के व्यावसायिक परिसर

आकलनकर्ता सिक्किम में थे, जो ए. सी. आई. टी., गंगटोक के साथ निहित आकलन करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र था। इसलिए, आई. टी. ए. टी. ने सही माना कि अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने वाले ए. सी. आई. टी. दिल्ली का कोई क्षेत्रीय अधिकार नहीं था।

अधिकार क्षेत्र। कि विभाग के लिए उचित मार्ग यह था कि एसीआईटी, गंगटोक के अधिकार क्षेत्र को नई दिल्ली में स्थानांतरित करने के लिए अधिनियम की धारा 127 के अधिदेश का पालन करने के बाद मामला एसीआईटी, गंगटोक को सौंपा जाए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि राजस्व अपनी उपस्थिति में

उच्च न्यायालय के समक्ष दिल्ली में अधिकारियों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर आई. टी. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पर कानून का सवाल उठाया गया, जबकि कानून के प्रश्न (ओं) तैयार करते हुए, उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में कोई मुद्दा नहीं बनाया। इस प्रकार, आई. टी. ए. टी. द्वारा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के संबंध में निष्कर्ष को अंतिम रूप मिल गया था।

3.18 जहां तक ब्याज के उद्ग्रहण का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. टी. ए. टी. ने विशेष रूप से कहा कि इसके द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया था।

ब्याज लगाने के लिए एओ। इसलिए सी. आई. टी. बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना। रांची क्लब लिमिटेड, (2001) 247 आई. टी. आर. 209 में यह विचार रखते हुए कि ब्याज की वसूली अधिनियम की धारा 234ए, बी एंड सी के तहत थी, मूल्यांकन आदेश में ए. ओ. द्वारा निर्देश के बिना कानूनी रूप से नहीं है।

टिकाऊ। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय, परेशान करते हुए ब्याज लगाने पर आई. टी. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष ने आय आयुक्त के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करने में गलती की है।

कर पर, मुंबई बनाम। अंजुम एम. एच. घसवाला, (2002) 1 एस. सी. सी. 633 और आयकर आयुक्त, दिल्ली बनाम। भगत निर्माण

कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, (2016) 15 एस. सी. सी. 738। 3.19 निर्धारिती कंपनियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री दातार ने तर्क दिया कि इस तरह से कोई नोटिस नहीं दिया गया था

उचित व्यक्ति और रतन गुप्ता को नोटिस नहीं दिया जा सकता है नोटिस की एक वैध सेवा कहा जाए। वह मानसरोवर वाणिज्यिक पी. वी. टी. की धारा 2 (35) (बी) के तहत है।

लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.]

अधिनियम, निर्धारण अधिकारी को केवल व्यक्तियों को नोटिस देने की आवश्यकता होती है

जो निर्धारिती कंपनी के प्रबंधन या प्रशासन से जुड़े हैं ताकि उन्हें प्रधान अधिकारी के रूप में माना जा सके। वह रतन गुप्ता निर्धारिती कंपनियों के प्रबंधन या प्रशासन के साथ कभी भी जुड़ा नहीं था ताकि उसे प्रधान अधिकारी के रूप में माना जा सके। वह रतन

गुप्ता अधिनियम की धारा 2 (35) (ए) के तहत निर्धारिती कंपनियों के सचिव, खजांची, प्रबंधक या एजेंट नहीं थे। इसलिए, ए. ओ. को रतन गुप्ता को एक नोटिस देना चाहिए था जिसमें उन्हें इस आधार पर निर्धारिती कंपनियों के प्रधान अधिकारी के रूप में व्यवहार करने के उनके इरादे के बारे में सूचित किया जाना चाहिए था कि वह अधिनियम की धारा 2 (35) (बी) के तहत निर्धारिती कंपनियों के प्रबंधन या प्रशासन से जुड़े व्यक्ति थे। हालाँकि, वर्तमान मामले में, एओ ने रतन गुप्ता को अधिनियम की धारा 2 (35) (बी) के तहत कभी भी नोटिस नहीं दिया, जिसमें उन्होंने उन्हें निर्धारिती कंपनियों के प्रधान अधिकारी के रूप में मानने का इरादा व्यक्त किया। इसलिए, यह विफलता पूरी कार्यवाही को दूषित करती है।

3.20 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं किः

(क) व्यवसाय का प्रबंधन सिक्किम के गंगटोक से किया जाता था जहाँ व्यवसाय श्री अजय कुमार अग्रवाल, स्थानीय द्वारा किया जाता था।

निर्देशक और श्री एच. एल. वर्मा,

(ख) आय अर्जित की गई थी और सिक्किम में आयकर के रूप में मूल्यांकन किया गया था।

सिक्किम नियमावली, 1948 के अनुसार, और

(ग) सिक्किम मैनुअल, 1948 के तहत सिक्किम में आयकर का भुगतान किया गया था।

3.21 इसके अलावा, जब्त किए गए वाउचर और रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि बड़ी इलायची के चिन्हित व्यापारियों से इन कंपनियों के बैंक खातों में कमीशन का भुगतान प्राप्त किया गया था और उस विभाग के पास यह विश्वास करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि इन व्यापारियों ने केवल इलायची की बिक्री पर कमीशन का भुगतान किया था।

3.22 यह प्रस्तुत किया जाता है कि लेखा पुस्तकें, खाता बही आदि जो श्री रतन गुप्ता के कार्यालय परिसर में पाए गए थे।

दरियागंज, दिल्ली को श्री रतन गुप्ता को पेशेवर लेखा सेवाएं प्रदान करने के लिए सौंप दिया गया था क्योंकि वे एक चार्टर्ड एकाउंटेंट थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि लेखा पुस्तकें, खाता बही आदि

उन्हें पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए सौंपी गई थीं और व्यावसायिक संचालन सिक्किम के गंगटोक से श्री अजय कुमार अग्रवाल, स्थानीय निदेशक और श्री एच. एल. वर्मा द्वारा किया गया था और उनका निर्धारिती [2023] 8 एस. सी. आर. के व्यावसायिक संचालन से कोई लेना-देना नहीं था।

कंपनियाँ। एक मात्र आरोप कि वह आचरण का प्रभारी है कंपनी यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह प्रधान अधिकारी है। व्यवसाय के संचालन और प्रबंधन में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए विश्वसनीय सामग्री होनी चाहिए।

3.23 इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि नई दिल्ली में कार्यरत चार्टर्ड एकाउंटेंट श्री रतन गुप्ता के कार्यालय परिसर से लेखा पुस्तकों की जब्ती और उनके इलाज के आधार पर अधिकार क्षेत्र की धारणा सिक्किम कंपनी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के तहत निगमित कंपनियों के प्रधान अधिकारी या "प्रमुख और मस्तिष्क" के रूप में जब उक्त

चार्टर्ड एकाउंटेंट ने शपथ पर स्पष्ट रूप से कहा था कि वह पेशेवर लेखांकन और सुलह सेवाएं प्रदान कर रहे थे

विचाराधीन कंपनियाँ, अधिकार क्षेत्र के बिना, विकृत हैं और अलग किए जाने के योग्य हैं। इसकी विफलता एक बहुत ही खराब मिसाल कायम करेगी और अपने पेशे को जारी रखने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट के अधिकारों पर दूरगामी परिणाम होंगे।

3.24 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए। 4. राजस्व की ओर से पेश हुए भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एन. वेंकटरमन ने वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया है। उन्होंने हमें मूल्यांकन आदेश में निर्धारण अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों, 30 मार्च, 2001 के आदेश के माध्यम से सी. आई. टी. (ए) के निष्कर्षों, 8 जनवरी, 2002 के आदेश के माध्यम से आई. टी. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के बारे में बताया है, जिसमें नोटिस की सेवा और ब्याज की वसूली से संबंधित मुद्दे के बारे में दर्ज किए गए निष्कर्ष शामिल हैं।

4.1 जहाँ तक कंपनियों के मामलों के नियंत्रण और प्रबंधन पर अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत करने का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 6 भारत में निवास को परिभाषित करती है। कि सुसंगत प्रावधान अधिनियम की धारा 6 (3) है। कि इसके मामलों के नियंत्रण और प्रबंधन का यह सिद्धांत कुछ ऐसा नहीं है जो पहली बार आयकर अधिनियम, 1961 में उत्पन्न हुआ था। यह अभिव्यक्ति आयकर अधिनियम, 1922 के तहत भी मौजूद थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूर्ववर्ती आयकर अधिनियम, 1922 के तहत, धारा 4ए ने कर योग्य क्षेत्रों में निवास को परिभाषित किया है। अधिनियम की धारा 6 भारत में निवास से संबंधित है और प्रासंगिक प्रावधान 2017 में संशोधन से पहले और 2017 में संशोधन के बाद की धारा 6 (3) होगी। उन्होंने हमें संबंधित प्रावधानों के माध्यम से लिया है

आयकर अधिनियम, 1922 (धारा 4ए), अधिनियम की धारा 6 (3) (अस्तित्व में आई. एस. ए. आर. ओ. वी. ए. आर. वाणिज्यिक पी. वी. टी.)।

लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.]अधिनियम की धारा 6 (3) को वित्त बनाम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 01.04.2017।

4.2 मामलों के नियंत्रण और प्रबंधन पर व्याख्या पर, विद्वान ए. एस. जी. एन. वेंकटरमण ने निम्नलिखित अंग्रेजी पर भरोसा किया है,

अधिनियम, 1922 के तहत न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के निर्णय और

961 :

(i) सैन पाउलो बनाम। कार्टर (1896) एसी 31 लॉर्ड हैल्सबरी;

(ii) V.V.R.N.M. सुब्बय्या चेट्टियार बनाम। सी. आई. टी, मद्रास, ए. आई. आर. 1951

एससी 101; (iii) एरिन एस्टेट बनाम। सी. आई. टी. 1959 एस. सी. आर. 573;

(iv) नरोट्टन एंड परेरा लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी., बॉम्बे सिटी, 1953 23 आई. टी. आर. 454 (पैराग्राफ 3 और 4) (बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय); v) ए. मोहम्मद रोथर बनाम की संपत्ति। सी. आई. टी., मद्रास, 1963 49 आई. टी. आर. 39, (मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय);

vi) सी. आई. टी. v. चित्रा पलायकट कंपनी, 1985 156 आई. टी. आर. 730 (मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय); vii) आयकर आयुक्त v. नंदलाल गंडलाल, 1960

40 आईटीआर 1 (एससी);

viii) ए. एम. एम. फर्म बनाम। भारतीय रिजर्व बैंक, 1982 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड। 187 (मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय);

ix) आयकर आयुक्त v. बैंक ऑफ चाइना, 1985 एससीसी

ऑनलाइन कैल। 24 (कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय) और

x) यूनिवर्सल कार्गो कैरियर्स इंक. आय आयुक्त

टैक्स, 1990 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल। 385 (कलकत्ता उच्च न्यायालय

फैसला) 4.3 उपरोक्त निर्णयों के आधार पर, इसे निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाता हैः

क) जब तक वाणिज्यिक उद्यम का नियंत्रण है, तब तक भूमि धारण करने, भुगतान की प्राप्ति और व्यापार करने का कोई मतलब नहीं है।

और वाणिज्यिक उद्यम को नियंत्रित करने वाले निर्देश दिए गए हैं

कहीं और।

ख) कंपनी का अधिवास या पंजीकरण प्रासंगिक नहीं है। निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और काम करना अपर्याप्त है।

ग) कार्य और कर्मचारियों के प्रबंधन के लिए अधिकृत निदेशक।

पुनः सेवा प्रदान करना अपर्याप्त है।

घ) निर्धारक परीक्षण वह है जहाँ प्रबंधन और प्रबंधन का एकमात्र अधिकार है।

ई) परीक्षण है, जहां सिर और सीट और निर्देशन की शक्ति है कंपनी के मामले हैं, जो कुछ हद तक काम करते हैं

जबकि 'पूरी तरह से' अभिव्यक्ति ऐसी शक्ति के दो अलग-अलग स्थानों के बीच विभाजित होने की संभावना को पहचानती प्रतीत होती है।

च) पूछा जाने वाला प्रश्न यह है कि व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह व्यवसाय को कहाँ से नियंत्रित या निर्देशित करता है।

छ) कंपनी द्वारा केवल गतिविधि निवास नहीं बनाती है।

ज) दोहरे निवास के मामले में, यह दिखाना आवश्यक है कि कंपनी कुछ महत्वपूर्ण जैविक कार्यों को आकस्मिक रूप से करती है।

दोनों स्थानों पर इसके अस्तित्व के लिए ताकि वास्तव में प्रबंधन के दो केंद्र हों।

i) नियंत्रण और प्रबंधन जो दिखाया जाना चाहिए वह केवल सैद्धांतिक नियंत्रण और शक्ति या न्यायिक नियंत्रण और शक्ति नहीं है, बल्कि फर्म के मामलों के संचालन और प्रबंधन के दौरान वास्तव में प्रयोग किया जाने वाला वास्तविक नियंत्रण और शक्ति। केवल निदेशकों की उपस्थिति या उन्हें सत्ता सौंपना अपर्याप्त है।

जब तक कि अन्यथा उन्होंने विचाराधीन क्षेत्र में कहीं और शक्ति का प्रयोग नहीं किया था।

जे) यहां तक कि पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत कार्य करना भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि

इसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है और एक पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में उन्हें प्रिंसिपल को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं और प्रिंसिपल को बोर्ड रूम से उनके काम पर सतर्क नजर रखने का अधिकार है और पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति केवल न्यायिक नियंत्रण है न कि वास्तविक नियंत्रण और प्रबंधन।

के) आंतरिक परीक्षण वह है जहाँ केंद्रीय नियंत्रण और प्रबंधन होता है।

वास्तव में पालन करता है। यहां तक कि केवल प्रबंध भागीदार की उपस्थिति या केवल सत्ता का प्रत्यायोजन अपर्याप्त है।

मानसरोवर वाणिज्यिक पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.]

1) इसके मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन अभिव्यक्ति कुछ ग्रंथों 'व्यवसाय का नियंत्रण और प्रबंधन' में उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति की तुलना में बहुत व्यापक है।

4.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक सवाल, जहां

नियंत्रण और प्रबंधन झूठ का निर्णय नियंत्रण के वास्तविक या तथ्यात्मक अभ्यास के आलोक में किया जाना है, क्योंकि न्यायालयों ने लगातार यह विचार रखा है कि भारत में केवल एक भागीदार फर्म की उपस्थिति, भले ही वह प्रबंध भागीदार हो, इस मुद्दे का निर्णायक नहीं है।

4.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इसका अर्थ निकालने के लिए

प्रबंधन और नियंत्रण पुरानी धारा 6 (3) पूर्व-संशोधन 2017 के तहत, जो वर्तमान मामले में लागू होगी, 1 अप्रैल, 2017 के बाद की धारा 6 (3) पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। कि 1 अप्रैल, 2017 के बाद नए कानून के तहत परीक्षण "समग्र रूप से या सार में व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक प्रमुख प्रबंधन और वाणिज्यिक निर्णय" है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रभावी प्रबंधन का स्थान (पी. ओ. ई. एम.) नया है

वैश्विक आवश्यकताओं और व्यावसायिक प्रथाओं के अनुरूप 1 अप्रैल, 2017 से संसद द्वारा निर्धारित मानक। 4.6 हमें ए. ओ., सी. आई. टी. (ए) और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर ले जाते हुए, जो अभिलेख पर साक्ष्य/सामग्री की सराहना पर हैं, यह

श्री एन. वेंकटरमन, विद्वान ए. एस. जी. ने अधिनियम की धाराओं 147/148 के तहत मूल्यांकन आयकर आयुक्त बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है। सन इंजीनियरिंग वर्क्स पी. लिमिटेड (1992) 4 एस. सी. सी. 363 (पैरा 14)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि धारा 147 के तहत, एओ को भागे हुए लोगों का 'आकलन या पुनर्मूल्यांकन' करने की शक्ति निहित की गई है किसी निर्धारिती की आय। कि 'बच गया मूल्यांकन' शब्द में 'गैर-मूल्यांकन' के साथ-साथ 'मूल्यांकन के तहत' दोनों शामिल हैं। [2023] 8 एस. सी. आर.

4.8 जहाँ तक नोटिस की सेवा पर अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत करने का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि व्यवसाय का प्रमुख स्थान

4.9 जहां तक अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज लगाने का संबंध है, श्री एन. वेंकटरमन, विद्वान एएसजी द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि धारा 234ए के तहत लगाया गया ब्याज अनिवार्य है और इसमें कोई विवेकाधिकार नहीं है। एओ और इसलिए सिद्धांतों के गैर-अनुपालन का कोई सवाल ही नहीं है

प्राकृतिक न्याय। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक अधिनियम की धारा 271 के तहत अधिरोपित दंड का संबंध है, वह विवेकाधीन है, हालांकि ब्याज विवेकाधीन नहीं है। इसलिए, जुर्माना लगाने के लिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता होती है, हालांकि ब्याज के मामले में, यह प्रकृति में अनिवार्य और स्वचालित होने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है और/या भले ही मूल्यांकन आदेश में ब्याज लगाने के लिए कोई विशिष्ट आदेश न हो, लेकिन लगाया गया ब्याज आई. टी. एन. एस. 150 में इंगित किया गया है।

मूल्यांकन आदेश और वही ब्याज की मांग के लिए पर्याप्त अनुपालन होगा। अंजुम एम. एच. घसवाला (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के साथ-साथ करणवीर सिंह गोसल बनाम के मामले में बाद के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया जाता है। आयकर आयुक्त, (2012) 13 एस. सी. सी. 802 और भगत कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय।

4.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. टी. ए. टी. ने रांची क्लब लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। हालाँकि, उक्त निर्णय को बाद में खारिज कर दिया गया है और/या अंजुम एम. एच. के मामलों में बाद के निर्णयों को देखते हुए अच्छा कानून नहीं माना गया है।

घसवाला (ऊपर) और भगत कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर)।

4.11 जहां तक ब्याज के उद्ग्रहण पर कानून के सारवान प्रश्न को न बनाए जाने के संबंध में प्रस्तुत करने का संबंध है, भारतीय स्टेट बैंक के मानसरोवर वाणिज्यिक पी. वी. टी. के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भारी निर्भरता रखी गई है।

लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.]

वी. एस. एन. गोयल, (2008) 8 एस. सी. सी. 92 (पैराग्राफ 13)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, जब कानून का कोई प्रश्न संयोग से या संपार्श्विक रूप से उत्पन्न होता है, जिसका कोई प्रभाव नहीं होता है

अंतिम परिणाम, यह कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, अंजुम एम. एच. घसवाला (उपरोक्त) में संविधान पीठ ने माना है कि ब्याज अनिवार्य और स्वचालित दोनों है और इस न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय ने निष्कर्ष निकाला था कि इसके लिए एक अलग नोटिस, सुनवाई और एक स्वतंत्र आदेश की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह न्यायालय भगत कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले में

ब्याज को बनाए रखना और उसे बनाए रखना। यह कि उपरोक्त निर्णय स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट करता है कि जब कोई मुद्दा आकस्मिक या संपार्श्विक होता है तो यह कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म नहीं देता है। एक बार कर देयता को बरकरार रखने के बाद, ब्याज स्वचालित, अनिवार्य और संपार्श्विक हो जाता है। 4.12 इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि कर देयता का अंतिम परिणाम या उठाए गए और तय किए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अंतिम परिणाम

उच्च न्यायालय का निर्णय ब्याज के मुद्दे पर निर्भरता की भावना के बिना किया गया था। यह कि उठाए गए और तय किए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अंतिम कानूनी परिणाम ब्याज पर निर्णय पर निर्भर या आकस्मिक नहीं है। इसके विपरीत, जिस क्षण कर देयता को बरकरार रखा जाता है, यदि ए. ओ. ने पहली बार में ब्याज लगाया था, (जो इस मामले में विवाद के अधीन नहीं है) तो ब्याज कर देयता में जोड़ा जाएगा क्योंकि इसके लिए एक स्वतंत्र और अकेले विचार की आवश्यकता नहीं है कि क्या यह देय है।

4.13 जहां तक शिव राज गुप्ता बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर रखी गई निर्भरता का संबंध है। सी. आई. टी., दिल्ली, ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 3556 द्वारा

जहां तक ब्याज देयता का संबंध है, अधिनियम की धारा 260ए के संदर्भ में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा और विशेष रूप से ब्याज के मामले में जो स्वचालित और अनिवार्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त मामले में, विवाद के संबंध में था पूंजीगत लाभ जो अपनी प्रकृति से आय का एक अलग शीर्ष है और मुद्दा बहुत ही कराधान से संबंधित है। इसलिए, किसी विशेष मामले में पूंजीगत लाभ की करयोग्यता का सवाल उठाने में विफलता [2023] 8 एस. सी. आर. के बराबर हो सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 260ए के संदर्भ में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने में विफलता। हालाँकि, यह ब्याज पर लागू नहीं हो सकता है क्योंकि ब्याज स्वतः और अनिवार्य है।

4.14 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को खारिज कर दिया जाए।

गौर फरमाइएः 5. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है

लंबाई। हमने मूल्यांकन अधिकारी, सी. आई. टी. (ए), आई. टी. ए. टी. द्वारा पारित आदेशों और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को भी बहुत विस्तार से देखा है।

शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि ए. ओ. ने रतन गुप्ता सहित सभी बिंदुओं पर संबंधित निर्धारकों के खिलाफ फैसला सुनाया।

संबंधित कंपनियों के प्रबंधन और नियंत्रण में मुख्य व्यक्ति।

दिल्ली के साथ-साथ दिल्ली में एओ के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया जाएगा। एओ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को सी. आई. टी. (ए) द्वारा बरकरार रखा गया है, जो संबंधित के खिलाफ भी हैं। मूल्यांकनकर्ता। हालांकि, आई. टी. ए. टी. ने सी. आई. टी. (ए) द्वारा पारित आदेश को उलट दिया, जिसे उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए उलट दिया है कि

आई. टी. ए. टी. का निर्णय तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर विकृत है।

6. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश की शुद्धता की सराहना करते हुए और संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए, ए. ओ., सी. आई. टी. (ए), आई. टी. ए. टी. और उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में दर्ज किए गए निष्कर्षों को संदर्भित करने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार हैंः

मूल्यांकन पास करते समय ए. ओ. द्वारा निष्कर्ष रिकॉर्ड आदेशः

निर्देशक सभी सिक्किम के बाहर से हैं और उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था।

(i)

सिक्किम गए और एकमात्र निदेशक श्री अजय अग्रवाल को गंगटोक, सिक्किम के निवासी के रूप में पेश किया गया, जिसे कोई सबूत या पहचान नहीं दिखाए जाने के कारण कायम

नहीं रखा जा सका।
लेखा की पूरी पुस्तकें न्यू में पाई गईं और जब्त कर ली गईं।

(ख)

श्री रतन गुप्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट, 4556/4, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली के पते पर।

ओवर वाणिज्यिक पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.]

ऑडिट रिपोर्ट के बिना रिटर्न दाखिल किए गए थे और लेखा परीक्षकों ने बैलेंस शीट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और लेखा परीक्षक भी दिल्ली से बाहर स्थित थे। हालांकि बैंक खाते दिल्ली और सिक्किम दोनों में उपलब्ध थे, दोनों को संचालित करने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता खाते केवल दिल्ली में स्थित थे।

वैधानिक पुस्तकें, रजिस्टर और शेयरधारक सभी दिल्ली में स्थित थे।

सिक्किम में बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के लिए कभी कोई सबूत पेश नहीं किया गया था।

जब विभिन्न एजेंटों से कमीशन कमाने की बात आती है,

सिक्किम में दिए गए पतों की वास्तविकता साबित नहीं हो सकी। जब अधिनियम की धारा 131 के तहत नोटिस जारी किए गए थे, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी और ज्ञापन और संगठन के लेखों से यह स्पष्ट था कि एजेंट निदेशकों के रिश्तेदार थे।

चौंकाने वाली बात यह है कि कुल कमीशन कथित रूप से अर्जित किया गया है यह इलायची की बिक्री से अधिक था और सिक्किम राज्य द्वारा एक वर्ष में क्या उत्पादन किया जा सकता था। इन तथ्यों की पुष्टि खुफिया शाखा ने की है

विभाग; सिक्किम में कोई कर्मचारी नहीं था और न ही कोई खर्च किया गया था।

श्री रतन गुप्ता एंड कंपनी के परिसर में 15.03.1990 पर तलाशी और जब्ती के समय, निम्नलिखित चीजें जब्त की गईं:

1) लेखा पुस्तकें

2) कोष

3) ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख

4) दोनों में रखे गए बैंक खातों की खाली चेक बुक

नई दिल्ली, गंगटोक और सिक्किम

5) दिल्ली और दिल्ली दोनों की सभी 5 कंपनियों की पास बुक

गंगटोक

6) खाली मुद्रित लेटर पैड और रबर टिकट [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्री रतन गुप्ता ने 15 मार्च, 1990 को अपने बयान में कहा,

डालमिया रिसॉर्ट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड और अन्य संस्थाओं से संपर्क किया गया। उन्होंने आगे पुष्टि की कि श्री राजीव जैन उनके निर्देश पर 3 कंपनियों में निदेशक बने और उन्होंने

कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर; श्री राजीव जैन ने 15 मार्च, 1990 को अपने बयान में पुष्टि की कि श्री रतन गुप्ता के कार्यालय में चेक बुक और पास बुक पाए गए थे और रबर के मामले में भी ऐसा ही है।

डाक टिकट और खाली मुद्रित पत्र शीर्ष;

श्री रविंदर सिंह ने अपने बयान में पुष्टि की कि वे मार्च, 1998 तक दिल्ली से इन कंपनियों के दिन-प्रतिदिन के मामलों को देख रहे थे, जिसके बाद रतन गुप्ता ने एकमात्र निदेशक और अन्य निदेशकों के रूप में पद संभाला। उनके नामांकित थे, और रतन गुप्ता ने कार्य किया और

केवल दिल्ली से संचालित किया जाता है और कोई कार्यालय खर्च नहीं किया गया है

सिक्किम में खर्च किया गया;

दिल्ली और सिक्किम में छूट का दावा करना; और यह 31 मार्च, 1989 तक किया गया था और जिस समय 1990 में आयकर अधिनियम का विस्तार किया गया था, उस समय पूरा तंत्र मिटा दिया गया था और किसी भी कंपनी द्वारा कोई कमीशन नहीं दिखाया गया था।

सी. आई. टी. (ए) द्वारा दर्ज किए गए कार्य;

यह दोहराते हुए प्राप्त किया गया कि विभिन्न व्यक्तियों को भेजे गए समन जिन्होंने कथित रूप से कमीशन के रूप में राशि का भुगतान किया था उसे जवाब नहीं दिया और यह कि मूल्यांकनकर्ताओं ने वास्तविकता को साबित करने के लिए कोई सार्थक सबूत भी पेश नहीं किया था

कमीशन प्राप्त हुआ।

रोवर वाणिज्यिक पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.]

यहां तक कि 8 अक्टूबर, 1998 को यू. पी. कर्म की भी जांच की गई और उन्होंने पुष्टि की कि वे 1998 में शामिल हुए थे और उन्हें पहले की वार्षिक आम सभा की बैठकों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वे कोई कार्यवृत्त प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि उन्हें उस व्यवसाय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जिसमें सभी 5 कंपनियां पहले शामिल थीं। कि वह एक कार्यकारी निदेशक है जो दावा करता है कि उसने कभी गंगटोक का दौरा नहीं किया था, जो दर्शाता है कि सिक्किम का दौरा किया गया है। केवल किसी भी मामले के वास्तविक प्रतिपादन के बिना उपयोग किया जाता है।

जहां तक ब्याज के संबंध में, सी. आई. टी. (ए) ने एक निष्कर्ष दिया

कि ब्याज आई. टी. एन. एस. 150 में उल्लिखित कार्यप्रणाली के अनुसार लिया गया था जो मूल्यांकन आदेश का हिस्सा था, जो शर्तों में ब्याज को बनाए रखने के लिए पर्याप्त और अच्छा है।

इस न्यायालय के निर्णय से।

आई. टी. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए अंकः

इस तथ्य की पुष्टि करने के बाद कि नोटिस भेजे गए थे

केवल सी/ओ रतन गुप्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट में संबंधित कंपनियों के नाम पर, यह देखा गया कि रतन गुप्ता प्रधान अधिकारी के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

एओ के सामने पेश हुए और स्वीकार किया कि नोटिस जारी किए गए हैं। मामले के उस दृष्टिकोण में, इसके बाद यह नहीं है निर्धारिती के संबंध में शिकायत करने के लिए खुला

सूचना की गैर-सेवा; मामलों के नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित पहलू पर, आई. टी. ए. टी. ने निष्कर्षों को निम्नानुसार दर्ज कियाः

i) इस बात पर प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है कि आई. टी. ए. टी. ने सी. आई. टी. (ए) द्वारा समर्थित ए. ओ. के निष्कर्षों को न तो सुरक्षित रखा था और न ही पाया था, जो बनाए रखने योग्य या तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं थे।

या विकृत।

ii) सी. आई. टी. (ए) द्वारा समर्थित ए. ओ. द्वारा प्रस्तुत तथ्य के निष्कर्ष निर्विवाद और निर्विवाद हैं।

iii) आई. टी. ए. टी. द्वारा की गई पूरी चर्चा अंतर्निहित निष्कर्षों पर सवाल उठाए बिना केवल इस बिंदु पर विभिन्न मामले कानून का विश्लेषण रही है।

iv) आई. टी. ए. टी. अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि सभी 5 कंपनियाँ सिक्किम में पंजीकृत थीं, इसलिए सिक्किम में

कर लगाने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त करें।

इसके बाद, आई. टी. ए. टी. ने निष्कर्ष निकाला कि राजस्व नहीं हो सकता है

इसके बोझ का निर्वहन और इसलिए, नियंत्रण और प्रबंधन केवल सिक्किम में था और आय केवल सिक्किम में अर्जित हुई थी।

6.1 एओ के निष्कर्ष को उलटते हुए कि क्या

गंगटोक में कमीशन अर्जित नहीं किया गया था, हालांकि एओ ने पाया कि उन लोगों को नोटिस भेजे गए थे जिन्होंने कथित रूप से निर्धारिती को कमीशन का भुगतान किया था और धारा 131 के तहत समन का पालन नहीं किया गया था, आई. टी. ए. टी. ने एक निष्कर्ष दिया कि एओ आगे नहीं बढ़ा और इस प्रकार, चूंकि कोई प्रतिकूल सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है, इसलिए एओ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि राजस्व पर भारी बोझ था। 6.2 ब्याज लगाने पर, आई. टी. ए. टी. ने निष्कर्ष निकाला कि ब्याज नहीं लगाया जा सकता था क्योंकि ए. ओ. ने रांची क्लब लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ब्याज लगाने से पहले अपना दिमाग नहीं लगाया था।

उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए परिणामः

1. कि एक कंपनी, हालांकि सिक्किम में निगमित है, अगर उसने कमाई की थी

सिक्किम के बाहर और भारत के भीतर कोई भी आय, आयकर अधिनियम, 1961 ऐसी आय पर लागू होगा और आयकर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र को तब तक बाहर नहीं रखा जाएगा जब तक कि कंपनी की आय को लेने की मांग की जाती है।

सिक्किम में निगमित, जो आय इसमें अर्जित हुई और भारत में अर्जित की गई।

2. दिल्ली में तैनात सभी निदेशकों द्वारा दिए गए विभिन्न बयानों का उल्लेख करते हुए, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष दिए हैंः

(i)

रतन गुप्ता ने केवल लेखा परीक्षक के रूप में काम नहीं किया था

5 संस्थाओं को पेशेवर सलाह;

उसके अपने कर्मचारियों को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

(ख)

111 उनके कार्यालय में उपलब्ध हस्ताक्षरित चेक बुक, रबर सील और लेटर हेड के लिए दिया गया स्पष्टीकरण विश्वसनीय नहीं है; इसारोवर वाणिज्यिक पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.]

iv) रतन गुप्ता ने चेक को संभालने की पूरी जिम्मेदारी श्री वर्मा को सौंपने की कोशिश की थी।

निर्धारिती द्वारा कभी प्रस्तुत नहीं किया गया;

v)

सबूत का भार तत्काल नहीं उठाया जा सका मामला और इसलिए, उच्च न्यायालय ने ए. ओ. के निष्कर्षों को बरकरार रखा कि 5 संस्थाओं के वास्तविक नियंत्रण में होने के रूप में श्री रतन गुप्ता की सटीक भूमिका प्रतीत होती है

सही;

vi) वह दो व्यक्ति जिन्हें संभालने के लिए पहचाना गया था

एच. एल. वर्मा और उमा शंकर सितानी नाम के व्यवसाय और पर्यवेक्षण को निर्धारिती द्वारा उनके बयान दर्ज करने के लिए पेश किया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि श्री आर. के. गोस्वामी, श्री वेदांत मेहता और श्री राजीव जैन सभी श्री रतन गुप्ता के अनुरोध पर निदेशक बने थे।

गलत है।

6.3 इसके बाद, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि नियंत्रण और

निम्नलिखित कारणों से कार्य पूरी तरह से भारत में थाः

क) रतन गुप्ता न केवल लेखा परीक्षा का काम कर रहे थे बल्कि निर्धारण भी कर रहे थे।

उक्त कंपनियों के निदेशक कौन होने चाहिए।

ख) रबर सील, लेटर हेड, खाली हस्ताक्षरित चेक और अन्य

सभी अभिलेख रतन गुप्ता के कार्यालय में पाए गए थे। तथ्यात्मक

एओ द्वारा निर्धारण निर्विवाद बना हुआ है और यह इस बात को मजबूत करता है कि

नियंत्रण और प्रबंधन दिल्ली में था।

ग) रतन गुप्ता का यह कथन कि एच. एल. वर्मा या उमा शंकर सितानी वास्तव में 5 के मामलों को संभाल रहे थे।

संस्थाओं को उनमें से किसी के लिए भी पेश करके अच्छा नहीं बनाया जा सकता था

जाँच।

घ) एक बार दस्तावेज जब्त कर लिए गए और बयान दर्ज किए गए। विभिन्न व्यक्तियों से, तस्वीर का विरोध करने के लिए कुछ सबूत पेश करने के लिए भार निर्धारिती पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और अदालत ने पाया कि यह बेहद असामान्य है कि मुहर और हस्ताक्षर खाली हैं।

चेक चार्टर्ड एकाउंटेंट के पास पड़े होंगे। ङ) उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 70 में अभिनिर्धारित किया कि राजस्व इस प्रकार सही है -

कानून में ऐसा कोई अनुमान नहीं हो सकता है जो नियंत्रण और प्रबंधन करे

पंजीकृत कार्यालय में है।

च) पैरा 71 में, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "यह न्यायालय को प्रतीत होता है कि आई. टी. ए. टी. ने ए. ओ. के तथ्यात्मक निष्कर्ष को प्रभावित नहीं किया है, जिसकी पुष्टि सी. आई. टी. (ए) ने की थी। अवसर दिए जाने के बावजूद, निर्धारिती द्वारा प्रतिवाद किए बिना, राजस्व द्वारा एकत्र किए गए उपरोक्त विस्तृत साक्ष्य, राजस्व के मामले की पुष्टि करते हैं कि 5 निर्धारिती कंपनियों का प्रबंधन और नियंत्रण वास्तव में दिल्ली में स्थित था। इस संबंध में आई. टी. ए. टी. का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत और अस्थिर है।

कानून "।

छ) कमीशन और आय के संचय पर, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला

निम्नानुसारः

i) ए. ओ. द्वारा निष्कर्ष जो निर्धारिती साबित करने में विफल रहा था।

यह कि उनके द्वारा अर्जित कमीशन भुगतान विशेष रूप से सिक्किम में है, निर्धारिती द्वारा किसी भी ठोस सामग्री का उत्पादन करके हटा नहीं दिया गया था;

(ii) निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य केवल बिलों और वाउचरों की प्रतियां हैं और सिक्किम में ऐसे एजेंटों से उनके बैंक खातों में धन की प्राप्ति और आकलन सिक्किम नियमावली, 1948 के तहत किए गए हैं। iii) उच्च न्यायालय ने पैरा 76 में कहा कि "निर्धारिती द्वारा नामित 5 संस्थाओं में से किसी ने भी उन्हें कमीशन का भुगतान नहीं किया है।

निर्धारिती को भुगतान किए जाने की पुष्टि करने के लिए मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान उपस्थित हुए। उच्च न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि भुगतान किए गए कमीशन की दर थी

अवास्तविक और मानवीय संभावनाओं से परे, सिक्किम में किसी भी कर्मचारी का अस्तित्व न होना, पी एंड एल खाते में पाए जाने वाले सिक्किम में किसी भी खर्च का वहन न करना और अंत में बैलेंस शीट से पता चलता है कि आय कमीशन से होने के बावजूद संपत्ति डालमिया समूह में निवेश के रूप में थी, जो निर्धारिती के चेहरे पर टकटकी लगाएगी और अनिश्चित बनी रहेगी। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इस संबंध में आई. टी. ए. टी. के निष्कर्ष रिकॉर्ड के विपरीत हैं और इन पर आधारित हैं -

अनुमान और कानून में अस्थिर।

6.4 उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, रतन पर नोटिस की सेवा पर संबंधित पक्षों के लिए एड वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ जो संबंधित निर्धारिती के नियंत्रण और प्रबंधन में हैं; निर्धारिती कंपनियों के मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन; मानसरोवर वाणिज्यिक पी. वी. टी.।

लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.]

आयकर अधिनियम, 1961 की प्रयोज्यता; एओ की अधिकारिता और ब्याज लगाने पर विचार किया जाना आवश्यक है।

7. अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की सराहना करने पर, एओ,

सी. आई. टी. (ए) और उच्च न्यायालय ने निर्धारिती के खिलाफ विशेष रूप से निर्णय दिया है कि वास्तव में रतन गुप्ता ने न केवल पेशेवर सेवाएं प्रदान कीं, बल्कि निर्धारिती कंपनियों के नियंत्रण और प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और वास्तव में वे संबंधित निर्धारिती कंपनियों के मामलों के नियंत्रण और प्रबंधन में थे।

7.1 व्यवसाय के नियंत्रण और प्रबंधन पर, कुछ निर्णय

पूर्ववर्ती आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 4ए की व्याख्या और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 (3) की व्याख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैं:

i) V.V.R.N.M. सुब्बय्या चेट्टियार (ऊपर) के मामले में, यह है

पैराग्राफ 10 में निम्नलिखित रूप में देखा गया है:

" 10. वे सिद्धांत जो अब इंग्लैंड में अच्छी तरह से स्थापित हैं और जिन्हें स्वीडिश सेंट्रल रेलवे कंपनी लिमिटेड में बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है। थॉम्पसन (इंस्पेक्टर)

करों का) [स्वीडिश सेंट्रल रेलवे कं. लिमिटेड बनाम। थॉम्पसन

(कर निरीक्षक), 1925 अधिनियम 495: 9 टी. सी. 373 (एच. एल.)], जो इस विषय पर प्रमुख मामलों में से एक है, हैं:

(1) कि एक काल्पनिक "व्यक्ति" के मामले में निवास की अवधारणा, जैसे कि एक कंपनी, उतनी ही कृत्रिम है जितनी कि स्वयं कंपनी, और निवास का स्थान केवल हो सकता है

सादृश्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, यह पूछकर कि सिर कहाँ है और कंपनी के मामलों की सीट और निर्देशन शक्ति। क्या?

इन शब्दों का अर्थ एम. पतंजलि द्वारा समझाया गया है।

शास्त्री, जे. निम्नलिखित परिच्छेद में बहुत स्पष्टता के साथ

जहाँ वह धारा 4-ए (बी) के अर्थ से संबंधित है

“ 4 - ए. (ख) 'नियंत्रण और प्रबंधन' का अर्थ है, वर्तमान संदर्भ में, 'नियंत्रण और निर्देशन शक्ति'

और मस्तिष्क 'जैसा कि इसे कभी-कभी कहा जाता है, और' स्थित 'का अर्थ है किसी विशेष स्थान पर कुछ स्थायित्व के साथ ऐसी शक्ति का कार्य करना, जबकि' पूरी तरह से 'ऐसी शक्ति के बीच विभाजित होने की संभावना को पहचानता प्रतीत होता है।

दो अलग और अलग स्थान। "[2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक सामान्य नियम के रूप में, एक व्यवसाय का नियंत्रण और प्रबंधन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के एक समूह के हाथ में रहता है, और पूछा जाने वाला प्रश्न यह है कि प्रति पुत्र व्यक्ति या समूह व्यवसाय को कहाँ से नियंत्रित या निर्देशित करता है।

एक जगह पर "साइडिंग" और एक में बहुत सारा व्यवसाय करना अन्य।

(3) किसी कंपनी का केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण

विभाजित किया जा सकता है, और यह घर रख सकता है और एक से अधिक स्थानों पर व्यापार कर सकता है, और यदि ऐसा है, तो इसमें एक से अधिक रेसी हो सकते हैं।

डेंस।

(4) दोहरे निवास के मामले में, यह दिखाना आवश्यक है कि कंपनी कुछ महत्वपूर्ण जैविक कार्य करती है।

दोनों स्थानों पर इसके अस्तित्व के लिए प्रासंगिक, ताकि

वास्तव में प्रबंधन के दो केंद्र हैं।

ii) इसके बाद, एरिन एस्टेट (उपरोक्त) के मामले में, इसे पैराग्राफ 6 और 9 में निम्नानुसार देखा गया हैः

" 6. इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे फैसले के लिए उठाया गया सवाल कानून का सवाल है। अपीलार्थी धारा 4-ए (बी) के तहत एक निवासी फर्म है या नहीं, यह मामले में साबित तथ्यों के कानूनी प्रभाव पर निर्भर करेगा। अपीलार्थी की स्थिति, जिसे अधिनियम की सुसंगत धारा के संदर्भ में निर्धारित किया जाना है, तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है और इस प्रश्न का निर्धारण करने में उक्त धारा के प्रावधानों से कटौती योग्य कानून के सिद्धांतों को लागू करना होगा। वर्तमान कार्यवाही में हमारे सामने इस स्थिति पर कोई विवाद नहीं हुआ है। धारा 4-ए (बी) अन्य बातों में यह प्रावधान करती है कि "अधिनियम के उद्देश्य के लिए, एक फर्म कर योग्य क्षेत्रों में निवासी है जब तक कि उसका नियंत्रण और प्रबंधन नहीं हो।

मेला पूरी तरह से कर योग्य क्षेत्रों के बिना स्थित है। इस प्रावधान से पता चलता है कि, जहां किसी फर्म के भागीदार इस देश के निवासी हैं, सामान्य धारणा यह होगी कि फर्म निवासी है।

कर योग्य क्षेत्रों में। इस धारणा का खंडन किया जा सकता है और निर्धारिती द्वारा इसका प्रभावी ढंग से खंडन किया जा सकता है जो दर्शाता है कि फर्म के मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से कर योग्य क्षेत्रों के बिना स्थित है। प्रारंभिक अनुमान का खंडन करने की जिम्मेदारी निर्धारिती पर है। नियंत्रण और प्रबंधन आईएसएआरओवीएआर वाणिज्यिक पी. वी. टी. का सम्मान करता है।

लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.]

खंड द्वारा आच्छादित स्पष्ट रूप से नियंत्रण और निर्देशन शक्ति को संदर्भित करता है। अक्सर पर्याप्त रूप से, इस शक्ति को न्यायिक निर्णयों में "प्रमुख और मस्तिष्क" के रूप में वर्णित किया गया है; फर्म के मामले जो उक्त नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन हैं, वे उन मामलों को संदर्भित करते हैं जो कराधान के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं और इसलिए उनका फर्म की आय से कुछ संबंध होना चाहिए। जब यह धारा नियंत्रण और प्रबंधन को पूरी तरह से कर योग्य क्षेत्रों के बिना स्थित होने के लिए संदर्भित करती है, तो इसका तात्पर्य है कि नियंत्रण और प्रबंधन

यह एक से अधिक स्थानों पर स्थित हो सकता है। जहाँ नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से भारत के बाहर स्थित हैं, वहाँ इस धारा के तहत उत्पन्न होने वाले प्रारंभिक पूर्व योग का प्रभावी रूप से खंडन किया जाता है। यह सच है कि जिस नियंत्रण और प्रबंधन को कम से कम आंशिक रूप से भारत में स्थित दिखाया जाना चाहिए, वह केवल सैद्धांतिक नियंत्रण और शक्ति नहीं है, न कि न्यायिक नियंत्रण और शक्ति है, बल्कि फर्म के मामलों के संचालन और प्रबंधन के दौरान वास्तव में प्रयोग किया जाने वाला वास्तविक नियंत्रण और शक्ति है। सैद्धांतिक रूप से, यदि

भारत में रहने वाले भागीदारों को स्वाभाविक रूप से उस फर्म के मामलों को नियंत्रित करने का कानूनी अधिकार होगा जो भारत से बाहर अपना संचालन करती है। फर्म के मामलों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए इस सैद्धांतिक न्यायिक अधिकार की उपस्थिति जो अनिवार्य रूप से सभी भागीदारों में निहित है, यह नहीं बताएगी कि आवश्यक नियंत्रण और प्रबंधन भारत में स्थित है। इसे साक्ष्य द्वारा दिखाया जाना चाहिए।

कि फर्म के मामलों में नियंत्रण और प्रबंधन पूर्ववर्ती है भारत में कुछ हद तक ऐसा माना जा सकता है कि इससे पहले कि

नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से इसके बिना स्थित नहीं है

कर योग्य क्षेत्र। (बी. आर. नाइक बनाम सी. आई. टी. (1945) 13 आई. टी. आर. 124: (1946) 14 आई. टी. आर. 334)। धारा 4-ए (बी) के प्रावधानों के प्रभाव और दायरे पर इस न्यायालय द्वारा V.V.R.N.M में विचार किया गया है। सीआईटी [1950 एससीसी 971: (1950) एससीआर 961,965]। इस बिंदु पर प्रासंगिक निर्णयों की जांच करने के बाद, फाज़ी अली, जे., जिन्होंने न्यायालय का निर्णय दिया, ने कहा है कि "(1) कंपनी जैसे काल्पनिक 'व्यक्ति' के मामले में निवास की अवधारणा उतनी ही कृत्रिम है जितनी कि स्वयं कंपनी और निवास का स्थान केवल सादृश्य द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, यह पूछकर कि कंपनी के मामलों का प्रमुख और स्थान और निर्देशन शक्ति कहां है। ..... (2) एक में कंपनी द्वारा केवल गतिविधि

स्थान निवास नहीं बनाता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी एक स्थान पर रह रही है और दूसरे स्थान पर बहुत अधिक व्यवसाय कर रही है। (3) एक कंपनी का केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण [2023] 8 एस. सी. आर.

विभाजित किया जा सकता है और यह घर रख सकता है और अधिक में व्यापार कर सकता है एक से अधिक स्थान, और, यदि ऐसा है, तो इसमें एक से अधिक निवास हो सकते हैं। (4) दोहरे निवास के मामले में, यह दिखाना आवश्यक है कि कंपनी कुछ महत्वपूर्ण जैविक कार्यों को आकस्मिक रूप से करती है

दोनों स्थानों पर इसके अस्तित्व के लिए ताकि वास्तव में प्रबंधन के दो केंद्र हों। इन सिद्धांतों के आलोक में ही धारा 4-ए (बी) का अर्थ लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार, एकमात्र प्रश्न जिस पर विचार किया जाना बाकी है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय

मद्रास का यह मानना सही था कि अपीलार्थी धारा 4-ए (बी) के तहत भारत में निवासी था।

XXX

XXX

XXX

9. श्री कोलाह ने तब एक और मुद्दा उठाया जिसका उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह नहीं किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 4-ए (बी) में उल्लिखित नियंत्रण और मानव आंदोलन नियंत्रण और मानव आंदोलन वैध और कानून में प्रभावी होना चाहिए। पार्ट नेर्शिप एक्ट की धारा 12 के तहत, यह केवल अधिकांश भागीदार हैं जो अधीक्षक को प्रभावी निर्देश दे सकते थे और क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कथित नियंत्रण और प्रबंधन किया गया है।

सामूहिक रूप से कार्य करने वाले अधिकांश भागीदारों द्वारा यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं होगा कि फर्म के मामलों का कोई नियंत्रण और प्रबंधन भारत में रहता है। हमें नहीं लगता कि इस तर्क में कोई सार है। धारा 12 (ए) के तहत, प्रत्येक भागीदार को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार है और यह केवल तभी है जब फर्म के व्यवसाय से जुड़े सामान्य मामलों के बारे में मतभेद उत्पन्न होते हैं कि इसका निर्णय अधिकांश भागीदारों द्वारा किया जाता है। उक्त धारा की उप-धारा (ग) के तहत। यह सुझाव नहीं दिया गया है या यह नहीं दिखाया गया है कि अधीक्षक को व्यक्तिगत भागीदार के निर्देश पत्रों द्वारा कवर किए गए मामलों के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई अंतर था। वास्तव में इन पत्रों से प्रमाणित आचरण से पता चलता है कि एंडियप्पा पिल्लई, जिनके पास अधिकतम व्यक्तिगत शेयर हैं, ने साझेदारी के लिए कार्य करने का इरादा किया है और आमतौर पर फर्म के मामलों के संचालन और प्रबंधन के संबंध में निर्देश दिए हैं। अभिलेख पर हम अन्डियप्पा पिल्लई के इस आचरण के खिलाफ किसी भी विरोध या असहमति का कोई निशान नहीं देखते हैं। इसके अलावा, आयकर अधिकारियों के समक्ष जांच के दौरान कभी यह सुझाव नहीं दिया गया कि अंदियप्पा पिल्लई द्वारा दिए गए निर्देश वैध या प्रभावी नहीं थे और शेष भागीदारों द्वारा उन पर

सहमति नहीं बनी थी। यही कारण है कि हम सोचते हैं कि श्री कोलाह द्वारा उठाया गया यह तकनीकी बिंदु विफल होना चाहिए। इसारोवर वाणिज्यिक पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.]

(iii) कि इसके बाद न्यायमूर्ति एम. सी. चागला के माध्यम से नरोत्तम एंड परेरा लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में बंबई उच्च न्यायालय को उनके अधिपति के रूप में पैराग्राफ 3 और 4 में निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गयाः

" 3. यह भी आवश्यक है कि कंपनी के मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से कर योग्य क्षेत्रों में स्थित होना चाहिए। इसलिए, यदि नियंत्रण और प्रबंधन का कोई भी हिस्सा कर योग्य क्षेत्रों से बाहर है तो कंपनी

निवासी। इस संबंध में हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ के लिए विपरीत परिभाषा को देखना शायद आवश्यक है। उनके मामले में वे निवासी हैं जब तक कि इसके मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से कर योग्य क्षेत्रों के बिना स्थित न हो। इसलिए; जबकि एक हिंदू अविभाजित परिवार या फर्म या व्यक्तियों के संघ के मामले में कर योग्य क्षेत्रों के भीतर नियंत्रण और प्रबंधन का कोई उपाय

वे निवासी हैं, किसी कंपनी के मामले में कर योग्य क्षेत्रों के बाहर उसके मामलों के नियंत्रण और प्रबंधन का कोई भी उपाय उसे अनिवासी बना देगा। "नियंत्रण और प्रबंधन" अभिव्यक्ति का अर्थ निकालने में व्यवसाय करने और व्यवसाय के नियंत्रण और प्रबंधन के बीच के अंतर को ध्यान में रखना आवश्यक है। व्यापार और यह सब भारत के बाहर किया जा सकता है और फिर भी उस व्यवसाय का नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से भारत के भीतर हो सकता है। इस विशेष मामले में इस तथ्य पर काफी जोर दिया गया है कि कंपनी का पूरा व्यवसाय सीलोन में किया जाता है और कर के लिए उत्तरदायी पूरी आय सीलोन में अर्जित की गई है। लेकिन यह एक ऐसा कारक नहीं है जिस पर विधानमंडल ने जोर दिया है, यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है कि कार्य कहाँ किया जाता है

और जहाँ आय अर्जित की गई है। प्रासंगिक और सामग्री यह है कि उस व्यवसाय को किस स्थान से नियंत्रित और प्रबंधित किया गया है। धारा 4ए (सी) में निर्दिष्ट नियंत्रण और प्रबंधन, जैसा कि हम वर्तमान में अधिकारियों पर इंगित करेंगे, केंद्रीय नियंत्रण है। और प्रबंधन। इस उप-धारा द्वारा विचारित नियंत्रण और प्रबंधन नौकरों, कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय को चलाना नहीं है। लागू की जाने वाली वास्तविक परीक्षा यह है कि नियंत्रण और निर्देशन शक्ति कहाँ है, या बल्कि, नियंत्रण और निर्देशन शक्ति कहाँ कार्य करती है या इसे एक अलग भाषा में रखने के लिए हमेशा शक्ति का एक स्थान या सिर और मस्तिष्क होता है, और क्या पता लगाया जाना है कि यह शक्ति का स्थान कहाँ है, या सिर और मस्तिष्क कहाँ है। एक कंपनी या उसके मामले में एक फर्म

या एक अविभाजित हिंदू परिवार को नौकरों के माध्यम से काम करना पड़ता है और अभिकर्ता, लेकिन यह सेवक और अभिकर्ता नहीं हैं जो शक्ति का केंद्र या नियंत्रण और निर्देशन शक्ति का गठन करते हैं। वह यह है कि

अधिकार जिसके अधीन सेवक, कर्मचारी और अभिकर्ता होते हैं, यह वह प्राधिकरण है जो उन्हें नियंत्रित और प्रबंधित करता है, जो केंद्रीय प्राधिकरण है, और यह उस स्थान पर है जहाँ केंद्रीय प्राधिकरण कार्य करता है जहाँ कंपनी रहती है। यह कुछ मामलों में हो सकता है कि एक व्यक्ति की तरह एक कंपनी का एक से अधिक स्थानों पर निवास हो। यह न केवल एक निश्चित निवास से नियंत्रण और प्रबंधन का प्रयोग कर सकता है, बल्कि इसके अलग-अलग स्थान हो सकते हैं। यह फिर से एक सवाल होगा जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन श्री कोलाह ने हमारे सामने जिस तर्क पर सबसे अधिक जोर दिया है, वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि एक कंपनी किसी विशेष स्थान पर नियंत्रण या प्रबंधन करती है क्योंकि इसके कार्य एक विशेष स्थान पर किए जाते हैं और उन्हें प्रबंधन की बड़ी शक्तियों के साथ कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए लोगों द्वारा चलाया जाता है। एक कंपनी की भारत के बाहर विभिन्न स्थानों पर एक दर्जन स्थानीय शाखाएँ हो सकती हैं, वह इन शाखाओं से निपटने और व्यापार करने के लिए पूरी तरह से सशस्त्र एजेंटों को भेज सकती है, और फिर भी वह बॉम्बे में केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण बनाए रख सकती है और बॉम्बे और बॉम्बे से इन शाखाओं के सभी मामलों का प्रबंधन और नियंत्रण कर सकती है। यह तर्क देना असंभव होगा क्योंकि छह अलग-अलग स्थानों पर कंपनी का व्यवसाय करने वाले अधिकृत एजेंट हैं।

भारत के बाहर, इसलिए कंपनी न केवल बॉम्बे में बल्कि इन सभी छह अलग-अलग स्थानों पर निवास करती है। 4. ..... यह पूरी तरह से सच है कि ये दोनों प्रबंधक कंपनी का सारा व्यवसाय सीलोन में करते हैं और उस व्यवसाय को करने में स्वाभाविक रूप से उन्हें बड़ी मात्रा में विवेक और काफी मात्रा में अधिकार दिया जाता है। लेकिन केवल व्यापार करना ही नहीं है।

इन प्रबंधकों को नियंत्रण और निर्देशन शक्ति का गठन करता है। उनके

पावर-ऑफ-अटॉर्नी को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, उन्हें बॉम्बे से दिए गए किसी भी आदेश का पालन करना चाहिए, उन्हें बॉम्बे को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं, और पूरे समय जब वे सीलोन में काम कर रहे हैं, बॉम्बे में निदेशकों के बोर्ड रूम से उनके काम पर एक सतर्क नज़र रखी जाती है। यहाँ की कंपनी और कोलंबो में इसके कार्यालय के बीच जिस पत्राचार पर भरोसा किया गया है, वह भी दर्शाता है और

एक ही स्थिति पर जोर देता है। श्री कोलाह फिर से सही हैं जब वे इस तथ्य पर जोर देते हैं कि हमें इसारोवर वाणिज्यिक पी. वी. टी. पर विचार करना है।

लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.]

इस मामले में प्रबंधन और नियंत्रण करने की शक्ति या क्षमता नहीं है, बल्कि वास्तविक नियंत्रण और प्रबंधन है, या, दूसरे शब्दों में, अपमानजनक नियंत्रण और प्रबंधन नहीं है, बल्कि वास्तविक नियंत्रण और प्रबंधन, और यह मानने के लिए कि कंपनी निवासी है

लेखा के वर्षों के दौरान यह स्थापित किया जाना चाहिए कि कंपनी

वास्तव में बॉम्बे में इसके मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित किया। श्री कोलाह कहते हैं कि वकील की दो शक्तियाँ यह दिखाने के लिए जाती हैं कि जो कुछ भी हो

कंपनी के पास कानूनी या न्यायिक नियंत्रण और प्रबंधन हो सकता है, वास्तव में वास्तविक प्रबंधन दोनों द्वारा प्रयोग किया गया था।

सीलोन में प्रबंधक। हमारी राय में यह ऐसा मामला नहीं है जहां कंपनी ने वास्तविक प्रबंधन के संबंध में कुछ नहीं किया और

अपने मामलों का नियंत्रण और इसे किसी अन्य एजेंसी पर छोड़ दिया। जैसा कि हमने कहा है।

कंपनी का प्रबंधन, और इसलिए मामले में हम हैं यह देखते हुए कि केवल एक क्षति नियंत्रण और प्रबंधन नहीं था,

लेकिन एक वास्तविक नियंत्रण और प्रबंधन भी।

कि उसके बाद, न्यायमूर्ति कनिया, उनके प्रभु के रूप में, उनके बाद थे

बी. आर. नाइक बनाम के मामले में निर्णय। के आयुक्त

एन. ई. टैक्स, बॉम्बे, (1945) 13 आई. टी. आर. 124 ने देखा और अभिनिर्धारित किया है कि

दबाव "नियंत्रण और प्रबंधन" का अर्थ है जहां केंद्रीय नियंत्रण

प्रबंधन वास्तव में पालन करता है।

iv) बैंक ऑफ चाइना (उपरोक्त) के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि एक कंपनी एक साथ एक से अधिक स्थानों पर रह सकती है, लेकिन नियंत्रण और प्रबंधन वह है जहां प्रमुख और मस्तिष्क स्थित है। ऐसा मानते हुए, पैराग्राफ 7 से

9 , यह निम्नलिखित रूप में मनाया और आयोजित किया जाता हैः

" 7. एस के तहत। 6 (3) , एक गैर-भारतीय कंपनी को किसी भी पिछले वर्ष में भारत में निवासी कहा जाता है यदि उस वर्ष के दौरान नियंत्रण और इसके मामलों का प्रबंधन पूरी तरह से भारत में स्थित है। द.

किसी विशेष कंपनी का नियंत्रण और प्रबंधन किस स्थान या स्थान पर स्थित है, इसका निर्धारण अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है जिसे विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्धारित किया जाना है। एक कंपनी एक साथ एक से अधिक स्थानों पर निवासी हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से भारत में स्थित है। पिछले साल। अभिव्यक्ति "नियंत्रण और प्रबंधन"

नियंत्रण और निर्देशन शक्ति, "सिर और मस्तिष्क", [2023] 8 एस. सी. आर. को दर्शाता है।

जैसा कि इसे कभी-कभी कहा जाता है, और "स्थित" का अर्थ है कार्य करना

स्थायित्व। "पूरी तरह से" शब्द का उपयोग एस में किया जाता है। 6 (3) यह इंगित करेगा कि ऐसी शक्ति का स्थान दो अलग-अलग स्थानों के बीच विभाजित किया जा सकता है। "नियंत्रण और प्रबंधन" अभिव्यक्ति का अर्थ है वास्तविक नियंत्रण और प्रबंधन, न कि केवल नियंत्रण और प्रबंधन का अधिकार या शक्ति। यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि एक गैर-भारतीय कंपनी किसी भी पिछले वर्ष के दौरान भारत में निवासी है, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि ऐसी कंपनी वास्तव में भारत में अपने मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन करती है। सिद्धांत अब अच्छी तरह से तय हो चुके हैं। 8. डी बीयर्स कंसोलिडेटेड माइंस लिमिटेड में लॉर्ड लॉरबर्न एल. सी. बनाम पृष्ठ 212 पर होवे, [1906] 5 टी. सी. 198 (एच. एल.) ने निम्नानुसार अवलोकन कियाः

" श्री कोहेन ने एक परीक्षण का प्रस्ताव रखा जिसमें गुण थे सरलता और निश्चितता। उन्होंने कहा कि एक कंपनी

वह वहाँ रहता है जहाँ वह पंजीकृत है, और कहीं और नहीं। मैं नहीं कर सकता।

श्री कोहेन के तर्क को अपनाएँ। अवधारणा को लागू करने में

घर पर रहते हैं और व्यापार करते हैं। कोई व्यक्ति विदेशी हो सकता है राष्ट्रीयता, और फिर भी यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। तो ए हो सकता है

कंपनी। अन्यथा, इसका अपना मुख्य स्थान हो सकता है प्रबंधन और इंग्लैंड में इसके व्यापार केंद्र, के तहत

अंग्रेजी कानून का संरक्षण, और फिर भी उचित से बचने के लिए विदेश में पंजीकृत होने के सरल अवसर द्वारा कराधान

और इसके लाभांश को विदेशों में वितरित करना। मुखिया का निर्णय

कलकत्ता जूट मिल्स में बैरन केली और बैरन हडलस्टन

कं. लिमिटेड बनाम। हेनरी निकोलसन, [1876] 1 टी. सी. 83: [1876] 1 भूतपूर्व

डी 428 और सेसेना सल्फर कंपनी लिमिटेड बनाम हेनरी निकोलसन, [1876] 1 टीसी 83: [1876] 1 पूर्व डी 428, अब तीस साल पहले,

इस सिद्धांत में शामिल है कि एक कंपनी उद्देश्यों के लिए रहती है

आय-कर जहाँ इसका वास्तविक व्यवसाय किया जाता है। वे।
तब से निर्णयों पर कार्रवाई की जा रही है। मैं मानता हूँ कि
वास्तविक नियम; और वास्तविक व्यवसाय वहाँ किया जाता है जहाँ
केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण वास्तव में पालन करता है।

99 मानसरोवर वाणिज्यिक पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.]

9. उस फैसले के बाद से, रेखांकित किए गए शब्दों को परीक्षा के रूप में लिया गया है, हालांकि केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण को कभी-कभी "हेड, सीट और निर्देशन शक्ति" के रूप में कहा गया है। सवाल प्रबंधन के तथ्य पर निर्भर करता है न कि उस चीज़ की भौतिक स्थिति पर जो प्रबंधित की जाती है। एक कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है और यदि निदेशक मंडल की बैठकें भारत के भीतर आयोजित की जाती हैं, तो यह कहा जा सकता है कि केंद्रीय नियंत्रण और प्रबंधन यहां स्थित है। "प्रमुख और आसन और निर्देशन शक्ति" का निर्देशन, प्रबंधन और नियंत्रण।

इसलिए कंपनी के कार्य उस स्थान पर स्थित हैं जहां निदेशकों की बैठकें आयोजित की जाती हैं और परिणामस्वरूप, एक गैर-भारतीय कंपनी इस देश में निवासी होगी यदि व्यवसाय का प्रबंधन और नियंत्रण करने वाले निदेशकों की बैठकें यहां आयोजित की जाती हैं। "मामले" शब्द का अर्थ है वे मामले जो आई. टी. अधिनियम के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं और जिनका मूल्यांकन की जाने वाली आय से कुछ संबंध है। यह निदेशकों द्वारा शक्तियों का खाली अधिकार नहीं है, बल्कि व्यापार से संबंधित मामलों में उनका भाग लेना या उन्हें नियंत्रित करना है, जो उस स्थान के प्रश्न को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है जहां नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। उन्हें व्यवसाय या गतिविधि के संबंध में अपनी नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।

जहाँ से लाभ प्राप्त होता है। (इजिप्शियन होटल्स लिमिटेड बनाम देखें। मिशेल, [1915] 6 टी. सी. 542 (एच. एल.) "।

v) नंदलाल गंडलाल (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 4ए (बी) में "नियंत्रण और प्रबंधन" का अर्थ वास्तविक नियंत्रण और प्रबंधन है, न कि केवल नियंत्रण का अधिकार या शक्ति।

और प्रबंधित करें।

8. इस न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों का योग और सार यह होगा कि जहां प्रमुख और पीठ और कंपनी के मामलों की निर्देशन शक्ति और नियंत्रण और

प्रबंधन को केवल सैद्धांतिक नियंत्रण और शक्ति, यानी न्यायिक नियंत्रण और शक्ति नहीं, बल्कि फर्म के मामलों के संचालन और प्रबंधन के दौरान वास्तव में प्रयोग किए जाने वाले वास्तविक नियंत्रण और शक्ति के रूप में दिखाया जाना चाहिए। कि कंपनी का अधिवास या पंजीकरण बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है और निर्धारित परीक्षण वह है जहां कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण का एकमात्र अधिकार निहित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. कानून के उपरोक्त सिद्धांतों को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, और ए. ओ. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की सी. आई. टी. (ए) द्वारा पुष्टि करते हुए, यह सही निष्कर्ष निकाला गया है कि संबंधित निर्धारकों के मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन रतन गुप्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट के पास था।

दिल्ली। ए. ओ. द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष, सी. आई. टी. (ए) द्वारा पुष्टि की गई कि निर्धारिती कंपनियों के मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन रतन गुप्ता के पास था, रिकॉर्ड पर पूरी सामग्री पर आधारित हैं। उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में, उच्च न्यायालय ने आई. टी. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए विपरीत निष्कर्षों को उलटने में कोई त्रुटि नहीं की है और यह है

उचित रूप से देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया कि रतन गुप्ता को निर्धारिती कंपनियों के लिए और उनकी ओर से प्रधान अधिकारी और/या प्रधान अधिकारी के रूप में व्यवहार करने पर नोटिस की सेवा वैध नोटिस थी और उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि नई दिल्ली में एओ के पास आयकर अधिनियम, 1961 के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार क्षेत्र था।

10. जहाँ तक संबंधित निर्धारिती की ओर से मामला है कि पूरी आय सिक्किम में बिक्री पर कमीशन के माध्यम से अर्जित की गई थी

इलायची और इसलिए ऐसी आय पर कर नहीं लगाया जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, शुरुआत में, यह आवश्यक है

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ए. ओ. और सी. आई. टी. (ए) द्वारा समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, कि आयोग के माध्यम से कोई भी आय, जैसा कि निर्धारिती द्वारा दावा किया गया है, निर्धारिती द्वारा स्थापित और साबित नहीं की गई है। वास्तव में, एओ ने विभिन्न व्यक्तियों को नोटिस/समन जारी किए जिन्होंने कथित रूप से कमीशन के रूप में राशि का भुगतान किया था, हालांकि, उन व्यक्तियों ने कोई जवाब नहीं दिया था। इसलिए, ए. ओ. ने सही तरीके से तैयार किया है। एक प्रतिकूल अनुमान। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस प्रकार निर्धारिती ने साबित करने के लिए कोई सार्थक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया

आयोग की वास्तविकता प्राप्त हुई। उपरोक्त के बावजूद, आई. टी. ए. टी. ने ए. ओ. और सी. आई. टी. (ए) द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों को यह कहते हुए उलट दिया कि ए. ओ. आगे नहीं बढ़ा (समन/नोटिस जारी करने के बाद) और चूंकि कोई प्रतिकूल सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है, इसलिए ए. ओ. प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि राजस्व पर भारी बोझ था। एक बार, एओ ने उन लोगों को समन जारी किया जिन्होंने कथित रूप से निर्धारिती को कमीशन का भुगतान किया था और धारा 131 के तहत समन जारी किए गए थे जिनका पालन नहीं किया गया था और संबंधित निर्धारिती की ओर से यह दावा किया गया था कि उन्होंने सिक्किम के

भीतर कमीशन की आय अर्जित की थी, इसे साबित करने का बोझ निर्धारिती पर था। इन परिस्थितियों में, आई. टी. ए. टी. ने गलत तरीके से और गलत तरीके से ए. ओ. पर इसके विपरीत साबित करने का भार डाला। इसलिए, अभिलेख पर किसी भी सामग्री के अभाव में कि आयोग मानसरोवर वाणिज्यिक पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.]

केवल गंगटोक में अर्जित होने पर, निर्धारिती को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वे सिक्किम नियमावली, 1948 के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, न कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत। ऐसा प्रतीत होता है कि करदाताओं ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर के भुगतान से बचने के लिए एक मामला सामने लाया कि उन्होंने सिक्किम के भीतर आय अर्जित की, जिसे स्थापित और साबित नहीं किया गया है। यह संबंधित मूल्यांकनकर्ताओं की ओर से उनके चंगुल से बाहर निकलने का एक स्पष्ट प्रयास था।

आयकर अधिनियम, 1961।

11. जहां तक संबंधित निर्धारिती की ओर से यह प्रस्तुत करने का संबंध है कि आयकर अधिनियम के तहत कोई मूल आकलन नहीं था,

1961 , सन इंजीनियरिंग वर्क्स पी. लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय को देखते हुए अधिनियम, 1961 की धारा 147/148 के तहत पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता था। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 14 में, यह निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 14 .... इस प्रकार, धारा 147 के तहत, आकलन अधिकारी को भागने वाले का आकलन या पुनर्मूल्यांकन करने की शक्ति प्रदान की गई है।

किसी निर्धारिती की आय। धारा 147 में पुनर्मूल्यांकन की शर्तों के पूरा होने के बाद "ऐसी आय का आकलन या पुनर्मूल्यांकन या हानि या मूल्यह्रास भत्ते की पुनः गणना" अभिव्यक्ति का उपयोग केवल खंड (ए) और (बी) में पूर्ववर्ती अभिव्यक्ति से संबंधित है। , " मूल्यांकन से बच गया "। "बच गया मूल्यांकन" शब्द में "गैर-मूल्यांकन" के साथ-साथ "कम मूल्यांकन" दोनों शामिल हैं। कहा जाता है कि इस धारा के अर्थ के भीतर आय का निर्धारण नहीं हुआ है, जब यह निर्धारण के सुसंगत वर्ष में किसी निर्धारिती के हाथों में प्रभारित नहीं किया गया है। "आकलन" पद एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां किसी विशेष वर्ष के लिए निर्धारिती का मूल्यांकन, पहली बार, धारा 147 के प्रावधानों का सहारा लेकर किया जाता है क्योंकि अधिनियम के तहत मूल्यांकन नियमित तरीके से नहीं किया गया था। "पुनर्मूल्यांकन" पद एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक आकलन पहले ही किया जा चुका है, लेकिन आयकर अधिकारी के पास, अपने कब्जे में जानकारी के आधार पर, यह मानने का कारण है कि धारा 147 (बी) के प्रावधानों द्वारा विचार किए गए किसी भी आधार के अस्तित्व के कारण मूल्यांकन किया जा रहा है।

स्पष्टीकरण (1) के साथ।

12. जहां तक ब्याज के उद्ग्रहण और निर्धारिती की ओर से प्रस्तुत करने के संबंध में संबंधित निर्धारिती की ओर से प्रस्तुत करने की बात है [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह कि ब्याज लगाने के निर्धारण आदेश में पारित किसी विशिष्ट आदेश के अभाव में, ब्याज नहीं लगाया जा सकता था, संबंधित है, उक्त मुद्दा अंजुम एम. एच. घासवाला (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के साथ-साथ करणवीर सिंह गोसल (ऊपर) के मामले में बाद के फैसले को देखते हुए निर्धारिती के खिलाफ निष्कर्ष निकाला गया है। आई. टी. ए. टी. ने निर्णय पर भरोसा किया

तथापि, रांची क्लब लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में पटना उच्च न्यायालय का निर्णय, अंजुम एम. एच. घसवाला (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय को देखते हुए, अच्छा कानून नहीं माना जाता है। 12.1 अंजुम एम. एच. घासवाला (उपरोक्त) के मामले में, धारा 234ए, 234बी और 234सी के प्रावधानों के तहत ब्याज पर विचार करते हुए

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा के अनुसार, यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त प्रावधानों के तहत विचारित ब्याज प्रकृति में अनिवार्य है और छूट या कटौती की शक्ति आयोग को स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई है। यह इंगित करता है कि जहां तक वैधानिक ब्याज के भुगतान का संबंध है, यह अधिनियम के अध्याय XIX-A में विचार किए गए समझौते के दायरे से बाहर है। वर्तमान मामले में भी, आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए धारा 234ए के तहत ब्याज की वसूली अनिवार्य और स्वचालित है। अधिनियम की धारा 234ए में प्रावधान है कि जहां किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी नियत तिथि के बाद प्रस्तुत की जाती है या प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो निर्धारिती सरल ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार, धारा 234ए के तहत ब्याज वैधानिक ब्याज है जो देय और देय है और इसलिए अंजुम एम. एच. घासवाला (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय पूरी ताकत के साथ लागू होगा। इसलिए, जब ब्याज आई. टी. एन. एस. 150 में उल्लिखित कार्यप्रणाली के अनुसार लगाया जाता है, जो मूल्यांकन आदेश का हिस्सा है, तो इसे उचित रूप से पर्याप्त और ब्याज लेने के लिए पर्याप्त माना जाता है। (भगत कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट के मामले में इस न्यायालय का निर्णय देखें।

सीमित (ऊपर))। 13. जहां तक निर्धारिती की ओर से इस निवेदन का संबंध है कि ब्याज के उद्ग्रहण पर कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनाया गया था, शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि दोनों पक्षों ने ब्याज के उद्ग्रहण पर विस्तार से प्रस्तुतियाँ दी हैं जिन पर उच्च न्यायालय द्वारा अंजुम एम. एच. घसवाला (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के आलोक में विचार किया गया है। अन्यथा भी, उक्त मुद्दे को आकस्मिक या संपार्श्विक कहा जा सकता है। अन्यथा भी, अंजुम एम. एच. घसवाला (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए

मानसरोवर वाणिज्यिक पी. वी. टी. लिमिटेड। वी. आय कर आयुक्त, दिल्ली [एम. आर. शाह, जे.]

यह मानते हुए कि धारा 234ए के तहत ब्याज की वसूली वैधानिक ब्याज है और अनिवार्य और स्वचालित है, इसके बाद उक्त मुद्दे को कानून का सवाल नहीं कहा जा सकता है।

निष्कर्षः

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों और एओ, सी. आई. टी. (ए) द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने परेशान करने में कोई त्रुटि की है

आई. टी. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष। हम दिल्ली के रतन गुप्ता द्वारा निर्धारिती कंपनियों के मामलों के नियंत्रण और प्रबंधन के मुद्दे सहित सभी मुद्दों पर एओ, सीआईटी (ए) और उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

नई दिल्ली में; आयकर अधिनियम, 1961 की प्रयोज्यता; कि निर्धारिती ने यह साबित नहीं किया कि आय सिक्किम में कमीशन के माध्यम से अर्जित की गई थी और इसलिए कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था और सिक्किम नियमावली, 1948 के तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। हम अंजुम एम. एच. घसवाला (ऊपर) के मामले में संविधान पीठ के बाध्यकारी निर्णय के मद्देनजर ब्याज लगाने पर उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार से भी सहमत हैं, जिसका बाद में करणवीर सिंह गोसल (ऊपर) के मामले में पालन किया गया है।

15. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील विफल हो जाती हैं और वे खारिज किए जाने के योग्य हैं और

तदनुसार खारिज कर दिया। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

अंकित ज्ञान (सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)